SHORT DURATION DISCUSSION

Drinking water crisis in the country

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे ग्रीष्मकाल की शुरूआत होती है, मार्च-अप्रैल का महीना आता है, पानी की किल्लत प्रारंभ हो जाती है और यह क्रम अबाध गति से पिछले कई वर्षो से चल रहा है । इस सदन में भी हम लगातार प्रति वर्ष मार्च-अप्रैल महीने में पानी की किल्लत की चर्चा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं । यह समस्या किसी राज्य विशेष की समस्या न बनकर एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है और यदि हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्या भी कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पानी की किल्लत के लिए जो खास बातें हैं, जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि उनमें मुख्य हैं - जनसंख्या में वृद्धि, प्रदूषण, अव्यवस्थित मल निकास, औद्योगिक निस्तारी, अपर्याप्त भंडारण क्षमता और बारिश के पानी का अपव्यय । इन सबके पीछे यदि कोई कारण है तो वह मिसमैनेजमेंट है, जो किसी न किसी दृष्टि से यहां पर लागू होता है । जहां पानी की समस्या का सीधा संबंध जनसंख्या से है, वहीं भंडारण क्षमता का भी इससे संबंध है । इसके लिए हमें रेन वाटर हारवेस्टिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है और पीने के पानी का अपव्यय न हो, लोगों में ऐसी जागृति पैदा करने की आवश्यकता है । इसके लिए पानी संरक्षण के क्या उपाय किए जाएं, पानी की रिसाइक्लिंग हो ताकि वह पानी पीने योग्य हो और उसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि पानी शुद्धिकरण अवस्था में पीने योग्य हो जाए और लोग उसका उपयोग कर सकें, इसके लिए भी जन-जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है । इसके साथ ही साथ पानी की वितरण व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है । जब मैं बात वितरण व्यवस्था की कर रहा हूं तो कहीं तो जो सम्पन्न घर हैं, सम्पन्न इलाके हैं वहां पीने के पानी का बागवानी तक में उपयोग हो रहा है और कई ऐसे गरीब इलाके हैं, जहां बागवानी की बात तो छोड़िए, पीने तक के लिए पानी मुहैया नहीं हो रहा है और एक-एक गिलास, एक-एक लोटा पानी के लिए, बूंद-बूंद पानी के लिए वहां लोगों को तरसना पड़ता है । यह विषमता है हमारे समाज की, यह फर्क है अलग-अलग इलाकों में रहने वाले अलग-अलग समाज के लोगों के बीच में । इस विषमता को दूर करने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे ।

जब मैं रिसाइक्लिंग आफ वाटर की बात करता हूं तो शोध और अनुसंधान विभाग को भी इसमें एक प्रभावी रोल अदा करना चाहिए, ऐसा मैं मानकर चलता हूं । इसके लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए, यह सोचा जाना चाहिए । मात्र हम कमियां गिनाएं,त्रुटियां गिनाएं तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए खाली कमियां गिनाने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमको निदान के बारे में भी सोचना पड़ेगा और इस समस्या से जूझने में हमारा क्या कर्त्तव्य हो सकता है, क्या जिम्मेदारी हो सकती है, क्या उत्तरदायित्व हो सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा और यदि यह किया गया तब तो इस चर्चा का कोई औचित्य होगा वरना यह चर्चा केवल उस परिपाटी को पूरा करेगी जिस परिपाटी का पालन हम मार्च-अप्रैल के महीने में इस सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करके हमेशा कर लिया करते है । इसके

लिए आवश्यकता है कि हम गांवों में स्टाप डैम का निर्माण करें । इसके लिए आवश्यकता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी -- कुआं, बावड़ी, जलाशय थे, उनके सही रख-रखाव की बात करें । जब जलाशय सूख जाएंगे, जब वाटर रिज़रवायर सिस्टम नहीं रहेगा तो जो कुएं रहेंगे, जो बावड़ी रहेंगी, उनका जलस्तर नीचे हो जाएगा और उसका प्रभाव यह होगा कि लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाएगा । इसके लिए आवश्यक यह है कि जो तालाब हैं, जो बावड़ी हैं, उनका रख-रखाव ठीक तरह से हो । जो मिट्टी वहां जमा हो जाती है, उस मिट्टी के जमा होने की वजह से जो पीने का पानी हम बावड़ी या कुएं से उपलब्ध करते हैं, वह मिट्टी जब उसमें गिरती है तो पीने का पानी हमको उपलब्ध नहीं हो पाता है । इसलिए इस पर रोकथाम की आवश्यकता है, ऐसा मेरा विचार है ।

मान्यवर, बड़ी उम्मीदों से हर सरकार सत्तारूढ़ होती है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गंठबंधन की सरकार ने भी जब 1998-99 में सत्ता संभाली थी तो उसने अपने घोषणा-पत्र में इस बात का ज़िक्र किया था, मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा *'कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगले पांच वर्षों में सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध हो सके ।'* लेकिन इस वादे की पूर्ति की दिशा में सरकार ने क्या गंभीर प्रयास किए, इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब NDA की सरकार सत्ता में आई थी तो लोगों ने यह उम्मीद की थी कि उनके घोषणापत्र में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, कम से कम पीने के पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में यह सरकार कुछ कदम उठाएगी । लेकिन मुझे अफसोस है कि चुनावी घोषणापत्र में जो वायदे किए गए थे, वे वायदे सरकार ने विस्मृत कर दिए और जो पीने के पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की दिशा में भी सरकार ने कुछ नहीं किया । सरकार ने अपने उस वायदे को विस्मृत कर दिया, यह बहुत अफसोसजनक बात है ।

मान्यवर, इस सरकार ने किस ढंग से लापरवाही दिखाई है, मैं इसके दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा । इस सरकार ने कितना बजटरी प्रोविजन रखा था और वास्तव में कितना खर्च किया है, इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । महोदय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ARWSP के लिए वर्ष 2000-01 में 4,656.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था लेकिन उस पर मात्र 4,019.17 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए । यानी इस योजना के लिए जो प्रावधान किया गया था, उसका मात्र 85 प्रतिशत ही खर्च किया गया ....(व्यवधान) आप सुन लीजिए, इतने असहज मत होइए । आपको जब अवसर मिलेगा, तब बता दीजिएगा ।

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU) : Please go through the report. You are giving a wrong figure. आप एक बार फिगर देख लीजिए ।

SHRI SURESH PACHOURI: You please see page 155. उसमें आप देख लीजिएगा । इस योजना पर 4,019.17 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जबकि आवंटन 4,656.32 करोड़ रुपए का था । अगर मैंने कोई फिगर गलत बताई हो, तो बता दीजिएगा ।

मान्यवर, इसी प्रकार से वर्ष 2001-02 के लिए 4,636.37 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था और 19 फरवरी, 2002 तक 2,286.48 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । यानी कुल आवंटन का मात्र 62.59 प्रतिशत खर्च हुआ है । इंसान की जो बुनियादी आवश्यकता है शुद्ध पेयजल की, उसे उपलब्ध कराने के बारे में यह इस सरकार की गंभीरता है ।

मान्यवर, इस बारे में 19-20 अक्टूबर, 2001 को स्टेट मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री जी ने की थी और उसमें बहुत सी सिफारिशें की गई थीं । मैं यहां उन सिफारिशों का थोड़ा ही जिक्र करूंगा लेकिन उन पर क्या अमल हुआ इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया था कि एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी मुहैया कराने की रिआयत दी जानी चाहिए, जिसका पालन नहीं हो पाया ।

महोदय, सरकार का वर्ष 2004 तक जो राष्ट्रीय एजेंडा था, उसमें भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे यह बताने की कृपा करें कि इस दिशा में अभी से क्या प्लानिंग की गई है ? महोदय, उसमें यह सिफारिश भी की गई थी और माननीय मंत्री जी ने अपनी कन्क्लूडिंग स्पीच में आश्वासन भी दिया था और यह समाचारपत्रों में भी छपा था कि राज्यों की सिफारिशों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से यहां आया हूं और मध्य प्रदेश ने इस जल-संकट से उबरने के लिए जो सिफारिशें की हैं, उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ? आपने सम्मेलन में जो आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ ? आपने अपने घोषणापत्र में जो वायदे किए, उनको तो आपने विस्मृत कर दिया लेकिन जो आश्वासन आपने उस सम्मेलन में दिया था, उस आश्वासन की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, यह मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से यहां आया हूं । आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले एक सप्ताह से यह दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पेयजल संकट है और मध्य प्रदेश के प्रायः सभी जिले पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं ।

सारे राज्य में जल का संकट विद्यमान है। इसके स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय शासन से अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए 12 नवम्बर, 2001 को पत्र लिखा था और 253.84 करोड़ रुपये की मांग का मेमोरेण्डम भी भेजा था, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मेमोरेण्डम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए 46.87 करोड़ और नगरीय क्षेत्र के लिए 62.23 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। जो उस आश्वासन का परिपालन नहीं है, जो माननीय मंत्री जी ने उस सम्मेलन में किया था कि हम राज्यों की आवश्यकतानुसार पेयजल संकट से उबारने के लिए जो वांछित राशि है, वह उपलब्ध करायेंगे। महोदय, मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि लगभग 334 नगरीय निकायों में से 120 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनमें एक टाइम पानी उपलब्ध हो रहा है या दो-दो, तीन-तीन दिन के अंतर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नगरीय निकायों में नियमित जल उपलब्ध कराने के लिए कुल 64.23 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाकर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजी है। आप ने आपदा राहत निधि से भी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल परिवहन के लिए मात्र 222.5

लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं, जबकि भारत शासन से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मांग और सहायता का अनुग्रह राज्य शासन ने किया था। महोदय, स्थिति यह है कि विगत वर्ष की भांति योजना मद से सूखाग्रद प्रभावित बसावटों में आवश्यक कार्य करने के लिए मापदंडों में छूट देने का आग्रह भी केन्द्र सरकार से किया गया था और इसके लिए भी 14 दिसम्बर, 2001 को केन्द्र शासन से अनुरोध किया गया था। जो मानदंड है, वह 40 लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराने का और एक किलोमीटर के अंतर्गत 250 लोगों के लिए जलशोध निर्मित कराये जाने का, उस मापदंड में शिथिलिता बरतने के लिए मेमोरेण्डम राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां पूरे देश में जल संकट है, पीने के पानी का संकट है, मध्य प्रदेश ऐसा देश का हृदय प्रदेश है, जहां पर भारी जल संकट है और प्रायः सभी जिलों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, जहां तक राष्ट्रीय संदर्भ की बात है। भारत में पानी की जो पर केपीटा ऐवेलिबिलिटी है और उसके साथ-साथ जो कंजम्पशन है, उसको जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते है, तो ऐवेलेबिलिटी के मुकाबले कंजम्पशन में कमी आती जा रही है। उस पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ऐसे उपायों पर गौर करना चाहिए, जिन उपायों को अपनाकर हम इस विसंगति को दूर कर सकते हैं। हमारे जो पड़ौसी देश हैं, चाहे वह श्रीलंका हो, नेपाल हो, बर्मा हो, उनमें भी ऐवेलेबिलिटी और कंजम्पशन का संकट है। वे कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिनकी वजह से वाटर क्राइसिस का सामना इन देशों को नहीं करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं विदेशों की हैं, जिनका परिपालन करने से हम पेयजल की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। वे वित्तीय मदद भी देते हैं इस वाटर क्राइसिस से निकलने के लिए। मैं चाहूंगा कि उन योजनाओं का लाभ माननीय मंत्री जी लें, ताकि यह जो राष्ट्रीय समस्या है, इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। गांवों की एक खास बात है, लोग हैंड पम्प लगवा लेते हैं, लोग कूएं खुदवा लेते हैं, लेकिन हैंड पम्प और कूएं के जरिए से ज्यादातर खारा पानी निकलता है। जब हम लोग सांसद के नाते उन क्षेत्रों में दौरा करते हैं तो ज्यादातर मांग यह आती है कि आप हमारे यहां एक हैंड पम्प लगवा दीजिए, आप हमारे यहां कूआं खुदवा दीजिए, बावड़ी रख-रखाव के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन खारा पानी को दूर करने के लिए कौन से संयंत्र होने चाहिए, कौन सी टेक्नालॉजी को हम उपयोग में लायें, उस टेक्नालॉजी को डेवलेप करने की आवश्यकता है और उन संयंत्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा गांवों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जिन संयंत्रों को लगाने के बाद हम लोग खारे पानी से मुक्ति पा सकते हैं।

जहां तक जो दूसरी स्थिति है, पूरे देश में वाटर क्राइसिस की वजह से क्या स्थिति है? मैं उन आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मौटे तौर पर दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में लगभग 21 प्रतिशत बीमारियां जो हो रही हैं, वह पीने के पानी की वजह से हो रही हैं, ऐसा वर्ल्ड हैल्थ ऑरग्नाइजेशन का ऑब्जरवेशन है। खास तौर से एक मिलियन से ज्यादा हिन्दुस्तानी बच्चे केवल अशुद्ध जल को पीने के कारण मौत के शिकार होते हैं, यह भी एक ऑब्जरवेशन है । यह भी ऑब्जरवेशन है कि हिन्दुस्तान के लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जिनमें वाटर लैवल पांच प्रतिशत से नीचे जा रहा है जिनमें खास तौर से हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात हैं जिनका सैंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इस लिस्ट में आकलन किया है। यह अपने आपमें बहुत गंभीर बात है ।

1995 में जो यूनीसैफ का और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक ऑब्जरवेशन था और उनकी केस स्टडीज़ हैं, उन्होंने भी इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उन्हें भी गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है । महोदय, मैं दो तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । वह खास बातें ये हैं कि जो सम्मेलन 20 अक्तूबर 2001 को किया गया था, उस सम्मेलन की क्या क्या संस्तुतियां थीं । उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जल की गुणवत्ता कैसे बरकरार रखी जाए । सम्मेलन में तो हो सकता है कि हम लोगों ने मिनिरल वाटर पीते-पीते विचार बहुत गंभीरता से किए हों और उन नतीजों पर भी पहुंचने की कोशिश की गयी हो कि हम जो संस्तुति कर रहे हैं,उसका पालन होगा। लेकिन उस सम्मेलन की जो भी सिफारिशे हैं, जो अनुशंसाएं हैं, उनका पालन हुआ कि नहीं । उन अनुशंसाओं में यह था कि 567 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, उनमें से 352 प्रयोगशालाएं लगाया जाना बाकी था और उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि 31 मार्च 2002 तक इन 352 प्रयोगशालाओं को लगा दिया जाएगा । उस संस्तुति का क्या हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं, जो जल गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए थी । इसके संबंध में जो कार्य योजना बनायी गयी थी, उस कार्य योजना के परिपालन में क्या कदम उठाये गए, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं । यह एक ऐसी समस्या है जिस समस्या के निराकरण के लिए और जिस समस्या पर गंभीरता से विचार करने के लिए लगभग हम प्रति वर्ष इस सदन में चर्चा करते हैं लेकिन क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकल पाता है, इसलिए यही स्थिति होती है कि जो समाधान होना चाहिए, वह समाधान सही नहीं निकल पाता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पीने के पानी का गंभीर संकट का सामना भारतवासियों को करना पड़ रहा है, भारत के अनेक राज्यों को करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश है, लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके जो कि इंसान की बुनियादी आवश्यकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास क्या कार्ययोजना है ? क्या वह कार्य योजना एक समयबद्ध तरीके से आपने बनायी है ? यदि नहीं बनायी है तो निश्चित समयसीमा के अंतर्गत जो आपने सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन की संस्तुतियों का परिपालन हो सके, इस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? साथ ही जो मैंने उपाए सुझाए हैं कि रेन वाटर हारवैस्टिंग हो, ग्राउंड वाटर का ऐक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए और लोगों में यह जनजागरण पैदा हो सके कि यूजेबल वाटर हो सके, उसकी रीसाइक्लिंग कैसे की जाए, उस संबध में जन जागृति पैदा करने के लिए आपकी तरफ से किस प्रकार की योजना सुनिश्चित की गयी है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश है, पीने के पानी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए जो योजनाएं आपको भेजी हैं, और जिस राशि की उन्होंने मांग की है, मेहरबानी करके क्या वह धनराशि उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराएंगे वरना फिर ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी और फिर जब वह राशि वहां पहुंचेगी तो उस राशि को वहां भेजने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा । इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका अनुगृहित हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर ग्रीष्म काल में पानी की कमी और किल्लत पर हमें चर्चा न करनी पड़े । इसके लिए आप कोई ऐसा समाधान निकालें जो ठोस भी हो, मजबूत भी हो और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपकी जो दृष्टि है, वह मजबूत होनी चाहिए, आपकी जो सोच है, वह मजबूत होनी चाहिए और आपका कदम भी मजबूत होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री केशूभाई एस.पटेल (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में चर्चा के लिए जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, वह पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है । मैं प्रस्तावक का अभिनन्दन करता हूं कि जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है पूरे देश के लिए, उसमें भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिसमें उसकी ज़रूरत तत्कालीन उपाय करने के बारे में है, उसे यहां उजागर करने का हम लोगों को मौका मिला है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 50 सालों से हम बातें करते आए हैं कि पीने का पानी दिया जाए । कोई कहता है कि पीने के पानी की सबसे ज्यादा खराब स्थिति मध्य प्रदेश में है, कोई कहेगा राजस्थान में है और मैं कहूंगा कि गुजरात में है और मैं ऐसा ज़रूर कहूंगा कि कहीं दो दिन के बाद पीने का पानी मिलता होगा लेकिन गुजरात में कुछ टाउन ऐसे हैं ज़हां आठ दिनों के बाद पाइपलाइन के ज़रिए सिर्फ आधा घंटा पानी मिलता है । मान्यवर, आज़ादी के 50 साल के बाद भी यह स्थिति आज बनी हुई है । हमारे यहां 70 परसेंट ऐसा क्षेत्र है जो अकाल से पीड़ित है, drought prone area है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि आपने ही यह चर्चा शुरू की और अब आप ही चेयर पर विराजमान हुए हैं । तो मैं कह रहा था कि आठ दिनों के बाद भी आधा घंटा, पंद्रह दिनों के बाद भी आधा घंटा पानी मिलता है, यह स्थिति है । कच्छ का कितना एरिया ऐसा है जहां पीने का पानी है ही नहीं । लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं । सौराष्ट्र का, उत्तर गुजरात का कितना एरिया ऐसा है जहां पीने का पानी है ही नहीं । लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं । कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, आप देखिए, पूरा दाहोद डिस्ट्रिक्ट, साबरकांटा का आदिवासी क्षेत्र, पंचमाल का हिली एरिया, सारी जगहों पर हम हैंड पम्प लगवाते हैं लेकिन हैंडपम्प लगवाने से क्या होता है ? दस-पंद्रह दिन पानी मिलता है । आसपास के क्षेत्रों में जो इकट्ठा होता है, वह दस-पंद्रह दिन तक ही मिलता है । जमीन में पानी है ही नहीं । जब पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहां से ? यह प्रश्न बहुत पेचीदा है । जब मैंने यह कहा कि हमारे गुजरात में यह प्रश्न बहुत पेचीदा हो गया है तब मैं बताऊंगा कि उत्तरी गुजरात के किसान, कच्छ के किसान, सौराष्ट्र के किसान, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों के किसान कितनी गहराई से पानी लेते हैं । पीने का पानी जितनी गहराई से लेना पड़ता है वह एक हजार फीट नीचे से लेना पड़ता है । हजारों साल पहले जो पानी नीचे गया है, वह पानी आज कैसा है ? क्या वह सभी जगह पर मीठा है ? पीने लायक है ? मीठा नहीं है, पीने लायक भी नहीं है ? बहुत सारी जगहों पर क्षारवाला तो है ही, फ्लोराइडयुक्त भी है । एक तरफ तो हम कहते हैं कि लोगों की उम्र बढ़नी चाहिए, आयु बढ़नी चाहिए । उसकी आयु बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हम पैसा खर्च करते हैं । अपनी आयु बढ़ाने के लिए जो कुछ उपाय करने चाहिए वे कर रहे हैं दूसरी ओर, जहां फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है वहां पच्चीस-तीस साल का जवान आदमी वृद्ध जैसा लगता है क्योंकि उनकी हड्डियां बैंड हो जाती हैं । यानी पचास-पचपन साल की उम्र में वह भगवान के घर चला जाता है । इस देश का पच्चीस-तीस साल का युवा, जिसके मन में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, उस जवान की रोज-रोज यह फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के कारण हड्डियां बैंड हो जाती हैं, वह स्वयं बैंड हो जाता है, चल नहीं सकता है । इस तरह की स्थिति गुजरात में बहुत ज्यादा क्षेत्रों में है । हमारे यहां एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसके बारे में एक कहावत है । यह क्षेत्र अहमदाबाद के पास ही है, बहुत दूरी पर नहीं है, यह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, उसका नाम दन्दुका, यह

टाउन है । दन्दुका क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि, भई लड़की की शादी करो तो और जगह करना । लड़की को बंदूक से गोली मारो लेकिन दन्दुका में शादी मत करवाओ, यह कहावत है । गुजरात में फ्लोराइडयुक्त पानी है । पानी मिलता ही नहीं है । कुछ नहीं है, बहुत दूर-दूर तक पानी की इतनी तकलीफ है । यहां पानी की चर्चा हो रही है । पचास साल में आदमी मर जाता है । वहां फ्लोराइड ही फ्लोराइड है । क्षारवाला पानी है । फ्लोराइड वाला पानी दूर-दूर से लाना पड़ता है । आठ-दस दिन तो स्नान करने की बात ही नहीं है । जहां पीने का पानी भी नहीं है वहां स्नान की बात तो दूर रही । यहां दिल्ली में एक-दो टाइम पानी मिलता है । अगर एक टाइम पानी न मिले ...**(व्यवधान)**...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने क्या किया ?

श्री केशुभाई एस. पटेल : मैंने क्या किया, अगर बताऊं तो पूरे ढाई घंटे चले जाएंगे ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : केशुभाई जी आप बोलिए ।

श्री केशुभाई एस. पटेल : पचास साल आप लोगों ने क्या किया ? आप जाकर दन्दुका वालों से पूछिए कि क्या अब शादी करवाएंगे दन्दुका में? तो कहेगा कि हम शादी करवाएंगे क्योंकि हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया है। गुजरात में लोग कहते हैं कि लड़की को बंदूक कर दो, पर दंदूके न भेजो। यह परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। जब तक यह बदली नहीं जाएगी तब तक विकास कहां होगा? किस बात का विकास? हम देखते हैं कि जो हमारे गांव बसे हैं, हमारे शहर बसे हैं, यह दिल्ली भी बसी है तो यमुना के किनारे बसी है, हजारों साल पहले जो गांव बसाते थे, तब साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, तब भी नदियों के किनारे पर गांव और शहर बसाए जाते थे। आज वही स्थिति है। लेकिन नदियों में भी पानी कहां है? उस समय तो नदियों में पानी था। आज नदियों में पानी नहीं है। यह गंभीर समस्या है। आने वाले दिनों में और गंभीर स्थिति हो जाएगी। इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हैंड पंप लगाने से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। हमारे सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहां पत्थर ही पत्थर जमीन में है। इसलिए यहां ट्यूबवेल लगाकर क्या करेंगे? वहां पानी ही नहीं है। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वहां ऊपर पानी को रोकना पड़ेगा, तालाब बांध करके, डैम बांध करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हम लोगों ने क्या किया? वह बात कहने वाले माननीय सदस्य को मैं बताऊंगा कि छोटे चेक डैम्स लोगों की मदद से, प्रजा के सहयोग से लगाए - 40 परसेंट व्यक्तियों का या गांव का और 60 परसेंट सरकार का। तो पानी रोकने के लिए हमने जुम्बिश चलायी, आंदोलन चलाया, चेक डैम्स बनाए। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हम लोगों ने एक साल में 14 हजार चेक डैम्स बनवाए। एक ही साल में प्रजा के सहयोग से। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ सरकार ने किया। जनता ने भी उठाए। मुझे बताइए देश में किसी और जगह ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ हो जो रचनात्मक हो जिसमें प्रजा का सहयोग हो। फिर मैंने पहले ही कहा कि गुजरात में ड्राउट प्रोन एरिया बहुत है। इसलिए यह सब चीज तो तब हो सकती है जब बारिश हो। वहां बारिश ही नहीं है। तीन साल से बारिश ही नहीं हुई। अकाल है, अर्ध अकाल है। ऐसी साइकिल चलती है - 10 साल में 3 अकाल, 3 अर्ध अकाल, पानी की समस्या। इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसका उपाय अलग अलग क्षेत्र में अलग होगा। एक प्रदेश को दो-तीन जोन्स में बांटा जाए जहां पानी के सोर्स हों। यह पानी दूसरे क्षेत्रों में ले जाना पड़ेगा। गुजरात में समस्या

है कि एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना पड़ेगा। आज हम देखें कि आदिवासी क्षेत्र में डैम बना। बड़ा डैम तो बनने वाला नहीं क्योंकि ऐसी कोई साइट नहीं, ऐसी कोई नदियां नहीं हैं। लेकिन सौराष्ट्र में जो बन गया तो बन गया, थोड़ा सा और बनेगा। तो यह पर्याप्त नहीं है, वह भी तब भरेगा जब बारिश होगी। तो जहां 30-40 परसेंट क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया के बाहर का एरिया है, वहां से पानी दूसरे क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि वॉटरशैड योजना करें और वह जरूर करनी चाहिए । वॉटरशैड योजना, यह मानसून की क्रॉप अच्छी तरह से पक जाए, किसानों को लाभ मिले, देश को लाभ मिले, फसल अच्छी तरह से पके, उसके लिए मॉयस्चर संग्रह करने के लिए आवश्यक है, पानी रुकता है, लेकिन पीने के पानी का उपाय इसमें नहीं है । पीने के पानी का उपाय, जैसे मैंने गुजरात की बात बताई, यह करना पड़ेगा ।

मैं आखिर में एक बात कहूंगा । गुजरात में जा कर आप किसी बच्चे से पूछिए कि आपको पीने का पानी नहीं मिलता तो वह कहां से मिलेगा । उस के पास जानकारी है, वह कहेगा कि सरदार सरोवर डैम बन जाए तो पूरे गुजरात के अंदर पीने का पानी मिल जाएगा । उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से हो कर आती है और सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है । मैं टीकात्मक बात नहीं कहूंगा, लेकिन गुजरात की 5 करोड़ जनता यह आशा रख करके बैठी है कि सरदार सरोवर डैम बन जाए तो हमारी इस पीने के पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा । पिछले साल, डैम में नीचे पानी था हमने पंपिंग करके पानी दिया । यदि पंपिंग करके बड़ौदा को पानी न देते, दंदुका को पानी न देते, अहमदाबाद को पानी न देते, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, दौराजी, जैतपुर, गौंडल को पानी न देते तो मैं कहूंगा कि करीब 80 लाख लोग पिछले साल हिजरत करके कहीं और चले जाते । यह नर्मदा के पानी ने ही बचाया । डैम जितना भी बना है उसमें पानी भरा था, लेकिन कैनाल में नहीं आ सकता था । गहराई से पानी हमने पंपिंग किया, कैनाल में डाला और वहां से दूरी पर ले गए । यह सरदार सरोवर डैम, पिछले साल इस समय में एनसीए,नर्मदा कंट्रोल अथारिटी ने तय किया कि इस साल दस मीटर ऊंचा डैम लिया जाएगा। पिछली जून से ले कर यह जून आ रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक एक इंच भी नहीं उठा है । सिर्फ विवाद, विवाद और विवाद है । पीने का पानी देने के लिए विवाद, यह राज्यों वाली बात हम कहां तक चलायेंगे ? क्या मध्य प्रदेश का आदमी ज्यादा प्यासा है और गुजरात का आदमी कम प्यासा है ? यह कब तक ऐसे चलेगा ? हमारा कहना है कि इसका उपाय सरदार सरोवर डैम के बनने में है।

इसके बनने से पूरे गुजरात में हम पाइप लाइन बिछा देंगे । पाइप लाइन बिछाना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन आपका और केन्द्र सरकार का सहयोग मिलेगा तो यह उपाय भी हो जाएगा।

नर्मदा का पानी हर साल समुद्र में चला जाता है । आखिरी छोर पर गुजरात है यानी आखिरी छोर पर बांध बन रहा है। 40-45 साल से यह बात चल रही है, आज 90 मीटर तक यह डैम बन चुका है । अब 110 मीटर डैम जाएगा तब यह कैनाल में पानी बहेगा । कुल मिला करके 136 मीटर डैम बनाने का है । मैं सरकार से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, ट्रिब्यूनल ने तो 30 साल पहले फैसला दे दिया । महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। अब यह काम कहां रुका हुआ है ? यह काम कहां रुका हुआ है, कहने से मुझे आक्षेप करना पड़ेगा । लेकिन मैं आक्षेप नहीं करूंगा, मैं पूरे सदन को अपील करूंगा और सदन के जरिए संबंधित लोगों को, कि जो प्यासा है उन की प्यास बुझाओ ।

महोदय, पुराने लोग अगर कोई अच्छा काम हो, धार्मिक काम हो तो लोगों की प्यास बुझाया करते थे । प्यास बुझाना एक अच्छा काम था । हम आज पुनः मांग करते हैं कि गुजरात के लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरदार सरोवर डैम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस में जो भी बाधा हो, उस बाधा का निराकरण कर के गुजरात को छूट दी जाए । उस में मध्य प्रदेश का भी लाभ है, उस में गुजरात का लाभ है, उस में महाराष्ट्र का भी लाभ है और राजस्थान का भी लाभ है । यह चार राज्यों का डैम है जिस से पीने का पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सिंचाई होगी और सब कुछ होगा ।

महोदय, आज सालों साल से यह काम रुका हुआ है । यह जल्दी से पूरा हो जाए, इस के लिए मैं इस सदन के जरिए केन्द्र सरकार और संबंधित राज्यों व सभी लोगों को अपील करता हूं । धन्यवाद ।

DR. KARAN SINGH (NCT OF DELHI): Mr. Vice-Chairman, Sir, as has been stated by the earlier speaker, among the very serious problems that we face in the country is the drinking water crisis. Millions suffer, every year, from water-borne diseases, particularly, in the rural areas, and also in the semi-urban areas, in the *jhuggi* colonies. Way back in 1987, the United Nations Water Conference had declared that clean drinking water was a basic human right. It is, indeed, sad that 50 years after Independence, millions of our citizens are still deprived of drinking water.

Sir, I have an NGO called the People's Commission for Environment Development (India), and we hold public hearings around the country, all the way from Himachal down to Kerala, from Gujarat to Arunachal Pradesh, and everywhere, without exception, the major problem is drinking water. Whether it is in Jammu, where the people or the women have to walk, even today, eight-ten kilometres in order to get drinking water, or whether it is in Malwa, Indore, Saurashtra or Jaisalmer, it is an extremely painful problem. What are the reasons for this problem? They have already been mentioned. Number one is the growing pollution in our rivers. Our rivers were the basis of our civilisation. But, today, even the Ganga, the *Param Pawini* Ganga, which is supposed to purify everything, has become highly polluted. The *Swachch* Ganga Abhiyan, the Minister would recall, was launched by Shri Rajiv Gandhi when he was the Prime Minister. For some reason, that Abhiyan has disappeared. Tens of crores have been spent on it, and, yet, the water quality of Ganga has not improved! With growing industrialisation, the Yamuna has become a sewer. All the rivers in India have become polluted.

The second major reason is deforestation. Deforestation is one of the major reasons for the water crisis. It is not often realised that trees are, primarily, producers of water, and only secondarily, producers of wood.

5.00 p.m.

Because, when the forest cover goes, the rain washes the top-soil away and the whole area becomes a desert. Tubewells have increased. Now, I believe, they are over 15 million, as against 4 millions in 1951, and 12 million of these are energised. But what is happening is, as has been mentioned just now, you have got to go down a thousand feet or more in order to get any water, and the water-table around the country is sinking rapidly. This is a very dangerous and disturbing trend. Sir, it is part of the global warming. We are in Delhi. Today, if you walk around, you will yourself see what the global warming is like. It is a world-wide phenomenon, but we are being hit badly by this in India.

Sir, you have rightly mentioned about population explosion. Our population has now crossed one billion mark. Therefore, the need and the requirement of drinking water is much more than before. There is wasteful consumption of water. In this country, unfortunately, nobody puts off the tap. I am sorry to say, even in the Parliament House toilets, where one goes often, I go around turning and closing the taps because the people leave the taps on. You go anywhere in the cities, the taps are left on. It is a criminal act, and, especially, in a country where the people do not get drinking water. We have no civic sense. We have no sense of public education with regard to how to conserve water. This is something that our public toilets are a disgrace. These are some of the factors, briefly, which are responsible for drinking water crisis.

Now, what are the solutions? Again, very briefly--because my time is very limited--the first one is, of course, general environment protection. Unless we look upon water as part of the totality of the environment, we cannot solve the problem of drinking water. We have to look upon it as a massive afforestation programme; as a massive programme of diverting the sewers from our rivers, treat the sewage before it goes back into the river. So, we need a massive programme for improving the environment and afforestation.

Sir, you have rightly mentioned about rain harvesting. It is a tragedy that we get such a lot of rain in India. We get one of the highest monsoons in the world; and, yet, we are not able to harvest that rain water. Every year, the rain water goes waste and it goes into the mud. I feel that water harvesting should be made essential and obligatory. All these new housing societies and housing colonies that are coming up

should have this technology. This is a low-cost technology, this is not a very expensive technology. But this has got to be made mandatory. The South Indian States, as usual, are doing better than the North Indian States. In Tamil Nadu, they have developed a lot of water harvesting programmes and, perhaps, in Kerala and Andhra Pradesh also. The south is, in many ways, far ahead of the north. What I feel is that we need a massive educational campaign in order to make the common citizen to cooperate in this process of water harvesting. We need to strengthen the existing programmes. You have mentioned some of them, the Accelerated Rural Water Supply Programme, the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, the PM's Gramodaya Yojana where drinking water is a component. The Central Ground Water Authority needs to be strengthened. We have to adopt innovative, low-cost, technologies for waste disposal. I would like to mention here the Sulabh Sauchalayas, which are low-cost technology. It can be used and it is being used increasingly. On the one hand, you use less water for sewage disposal, on the other, the obnoxious system of scavenger, which has been the bane of our existence for so many thousands years. Gradually, we can get rid of that also.

Mr. Vice-Chairman, we must encourage breakthrough research in desalination technologies. There is no reason why we always have to look to the West for technological breakthroughs. We have some of the most brilliant scientists in the world. Are they working at the cutting edge of research in developing desalination procedures? At present, there are some; but they are very expensive. If we can make a breakthrough in this area, Nobel Prizes are waiting to be won by the scientists, or, group or team of scientists, who can bring about a major breakthrough in this area. Without that, ultimately, the human race, perhaps, is destined to disaster in the long run, because the population is growing; industrialisation is growing, and water resources are shrinking.

Finally, Mr. Vice-Chairman, the most important element in this whole programme is the involvement of the people, the involvement of the State Governments, local bodies, municipalities, corporations, Panchayati Raj institutions and NGOs. Unless there is a massive, multi-pronged, national programme, we will not be able to solve this problem. If legislation is required, it is for the Government of India to suggest the legislation. I believe a model Act has been circulated. But it is not enough to circulate it. We have to move further.

Will the Minister, in his reply, assure the nation that this problem of providing clean drinking water to our citizens will receive top priority and there will be a time-bound programme to complete it by 2004 as they have promised and that whatever financial resources are needed whether for Madhya Pradesh or for any other State will be made available through the Plan Budget, the World Bank, the IMF and other institutions and that this major problem which affects the life and well being of citizens and of children yet unborn will finally be solved? Thank you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, today we are discussing the drinking water problem being faced by the people of the country. It is sad to know that even after 54 years of Independence, we have not been able to provide safe drinking water to all the habitations in our country. So the quality of life of the rural people has yet to be improved. People have been deprived of their legitimate rights. People have been deprived of clean drinking water. The National Agenda for Governance of the Central Government envisages provision of safe drinking water to all rural habitations in five years. The strategy involves not only coverage of all habitations with safe drinking water systems but also to tackle problems of water quality in affected habitations. Sir, Andhra Pradesh, under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, has taken up a massive programme called 'Neeru Meeru', i.e. 'water and you'. It is a massive programme in which many people are involved. The project is about desilting of water tanks, wells and other water sources. This programme has been taken up on a massive scale with the assistance extended by the State Government. Apart from this, the Government of India has sanctioned 58 rural water supply projects in rural areas of Andhra Pradesh under the Sub-Mission Programme. These projects were sanctioned at an estimated cost of Rs. 602 crores to provide safe drinking water to 4,216 affected habitations. At the time of implementing these projects, the cost of these projects had to be revised and the total cost increased from Rs. 602 crores to Rs. 872 crores, the excess amount being Rs. 269 crores.

Out of the excess amount of Rs. 269 crores pertaining to 47 projects, Rs. 71.36 crores was the cost of en-route habitations and infrastructure such as approach roads, staff quarters, land acquisition, etc., which may not be shared by the Government of India. Thus the shareable amount on revision would come to Rs. 198 crores, out of which Rs. 148 crores has to be contributed by the Government of India.

The hon. Minister who hails from Andhra Pradesh is aware of the problems of Andhra Pradesh. I request him to look into the matter. The Chief Minister of Andhra Pradesh also met the Minister of Rural Development and the Prime Minister and requested them to release the amount at the earliest because in our State so many welfare programmes are being taken up. With the meagre funds available at the State level, it is desirable that the Government of India should come forward and extend financial support for completing the ongoing projects.

Sir, a meeting was held on 19-20 October, 2001 under the Chairmanship of the Minister of Rural Development. They had made certain recommendations. Those recommendations should be considered and the State should be strengthened by providing drinking water to the rural areas. Suggestions for a National Water Grid envisaging inter-linking of rivers with a view to transferring surplus water available in some regions to water deficit areas have been made from time to time. The Government of India should re-examine the proposal to solve the supply of drinking water problems as well as irrigation problems.

For example, the river Yamuna flowing through the capital is dead all along its 22 km. stretch between Wazirabad and Okhla. Moreover, the drinking water is so polluted that the outbreak of diseases, like cholera and gastroenteritis, has largely been attributed to the consumption of polluted drinking water. If Yamuna is connected with another river, it can get enough water and we can provide drinking water to all in the capital. Similarly, the Cauvery river inter-link can save many Southern States from water scarcity. Drinking water scarcity is a perennial problem in certain States like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. In most places, the water table has sunk to dangerously low levels. The people are being enlightened about water conservation and water harvesting. People are even ready to labour, if need be, to get uninterrupted drinking water supply at the doorstep. In Andhra Pradesh, a Mission called the Water Conservation Mission was launched, under the chairmanship of our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu; Shri Annasaheb Hazare as its Vice-Chairman. They are going round the State and encouraging the people to involve themselves in this project. And, the Government is going all out to ensure that water is provided to all the inhabitants. Sir, apart from this, I urge upon the Government to give top priority to the on-going projects and I request the hon. Minister of Rural Development to see to it that all the projects are completed in time.

Sir, places like the Nalakonda District, in my State, have a peculiar problem. There is fluoride in the drinking water. This fluoride content is so high that people suffer from fluorosis and deformation of teeth, bone, etc. Action should be taken to supply fluoride-free water in such places.

In the end, I request the Government of India to give priority to supply of pure drinking water to all the citizens of India, both in the urban and rural areas, at the earliest. Thank you.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I rise to speak on a very important issue concerning the daily life of all the citizens, and that is the supply and availability of drinking water to the overwhelming majority of our people, the poor, the middle class and the rich and the affluent, right at the doorstep of each family. In 1997, the U.N. Water Conference declared that all the people have a right to drinking water in quantity and quality, equal to their basic needs. Again, a recent U.N. meet examined the relationship between water and poverty. If we are serious about ensuring good public health, we must ensure safe drinking water. And, I must state that water, sanitation and hygiene are the entry points of poverty alleviation in both urban and rural areas. But, in India, despite all the slogans about safe drinking water, a substantial number of people, do not have access to it. Sir, I do not want to mention the figures. But, as per the 1991 Census, the coverage of municipal water supply in India is stated to be over 75 per cent. But the access to in-house connections is limited to only 35 per cent of the urban households. Millions of people in the countryside suffer from water-borne disease on account of lack of safe potable water and it is the poor who suffer more, because of a higher prevalence of such diseases among them. And, in our dear motherland, even after 55 years of independence, fetching drinking water from distant places by our mothers and children is a common feature. In the drought-affected areas, the suffering of the people can be easily imagined. Questions have been raised here in Parliament about the scarcity of drinking water in Rajasthan and many other parts of the country, including certain places in Delhi. News has appeared about how our mothers and children are passing their days in the Gujarat relief camps.

Sir, in India, almost 90 per cent of drinking water supply in rural areas comes from ground water. A high stress on this system for drinking water and agricultural purposes has led to a decline of 2-4 metres in ground water levels.

Even in some parts of the country, it is more than four metres. In the urban areas, even in many metropolitan cities, supply of drinking water through pumped ground water is a common feature. We must abandon this system and quickly replace it with the surface water supply, i.e., treated river water supply. But the condition of all the major rivers, particularly, in the down-stream has sharply deteriorated. In my State and constituency, we have the Ganga and the Hooghly. They have the problem of bank erosion, resulting in heavy siltation, and, in the absence of dredging, it is causing a serious threat even to the supply of raw surface water. The Government should immediately give top-most priority to that aspect. On the other hand, the water of River Yamuna is so polluted that I once heard the U.P. Irrigation Minister saying that the water of Yamuna was not fit for irrigation purposes also.

Sir, there is a huge shortfall in urban infrastructure investment relating to water supply and sanitation. The India Infrastructure Report of 1996 had estimated an annual requirement of Rs.28,000 crores, only in the case of urban population. Compared to that, the total allocation for the schemes during the Ninth Plan period was Rs.18,624 crores only. So, what to do now? We must have a short-term and long-term programme. The habit of passing the grave national problem on to the limited resources of State Governments and on to the even more resource-handicapped local bodies should be abandoned.

Sir, we have ample water in the form of rain. We must capture every drop of rain water. Where there is no river or lake, we should form water reservoirs and store the water. Can we imagine that Cherrapunji, with its high annual rainfall, suffers from water scarcity for almost six months in a year? The water scarcity in this hot season has taken a bad turn. In the dailies, news is appearing about the deplorable conditions in many States. The Union Government cannot avoid its responsibility by passing it on to the limited resources of the State Governments only.

Sir, the other important issue is how to save the wastage. Apart from educating the people to prevent wastage, a technical answer is also to be found and pursued.

Sir, while concluding, I would like to request the Union Government to discuss it with the State Governments immediately and formulate a common programme to deal with the grave situation. In order to deal with

the acute water scarcity prevailing in many States during this hot season, the Government is urgently requested to take up the matter with the State Governments on a war-footing.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, as a new entrant to this House, I am really surprised to hear about the water shortage being talked about by representatives from those States which have got perennial rivers. Sir, during my school days, my Geography teacher used to ask me about the ten perennial rivers of our country. I used to keep my hands crossed and say, "Sir, the rivers are: Ganga, Yamuna, Narmada, Mahanadi, Brahmaputra, Cauvery, Tungabhadra, Krishna and Godavari." I used to answer like that. Sir, not a single river of this is in Tamil Nadu. We are tapping to the extent of hundred per cent of our resources. That is why we are managing. I can understand myself talking like this. But I am surprised that many Chief Ministers have said that drinking water, potable water is not available in the country. Maybe, there is some problem. But I am sorry to hear this. Today, I am a little shocked. Sir, when we have such perennial rivers in our country, then what is our contribution to the people?

Sir, in our National Anthem we talk about two rivers. I just quote the exact words, "*vatsal* Yamuna, Ganga", but we are not having water to drink! I am very sorry to hear this. Sir, we, in Tamil Nadu, have no river which originates in our State. We get water only during the rainy season, that too, at the mercy of our neighbours, with whom we want to be very friendly; I don't know whether there is reciprocal cooperation from their side. Mr. Naidu is here. He knows it very well, as he is from my neighbouring State. He is also the Minister in charge of this.

We want to be very, very friendly, because we are at their mercy. For the city of Madras alone, we have spent a thousand crore of rupees, on Telugu Ganga Project...*(Interruptions)*...

They are also trying their level best, and I want to be very friendly with the Telugu Desam Party friends. Sir, we are yet to get water in reality. They treat Cauvery river water, which is running through Tamil Nadu, only as a 'flood-carrying-river.' Only during the rainy season, they open the gates and flood us. During other seasons, they close it. I see a different attitude, all over India, when it comes to sharing water with neighbours. They feel happy to let the water into the sea than sharing it with neighbouring States. Sir, that tendency is definitely there. I can say that. I don't want to offend the feelings of some persons, and that is why I am keeping quiet.

My leader may feel a little unhappy, if I go a little farther. We want to be very friendly with others. There should be some meaning in saying 'unity of India', but we are not willing to share water with others. To put an end to all this, the only solution could be connect rivers, and make them a national wealth, and bring it under the control of the Central Government, not under the State. I am always for getting more powers to the States. I am always for the State Departments to have more control, and I am not in favour of the Central Government putting restrictions on the States, but for this one particular aspect.

Rivers should be nationalised and river resources should be in the hands of the Central Government. The Centre should allocate the water. That is what I feel; I say this not because I am thirsty of water or it suits me, but, I feel, a national outlook is required, because neighbouring States are not sharing water with us.

As far as tapping of ground water is concerned, we are, almost, tapping it before it could even fall from the sky. We stretch our hands immediately to get water, even before it could reach the earth. That much is the water harnessing in Tamil Nadu. This is the situation in Tamil Nadu. What solution the Central Government has got for us, I don't know. Mr. Karan Singh, the previous speaker, said that Tamil Nadu is managing the water very well, whereas other States are letting it into the sea. Sir, a scheme has to be evolved at the Central Government level so as to ask the States, which are letting it into the sea, to compel them to share the water with neighbouring States, who require it. A scheme should be evolved. Mr. Naidu, can very well set an example by compelling his own State to start it first. I will be happy. He can set the first example.

As far as harnessing the water is concerned, there is no point in saying that the water table is going down and all that. Afforestation is very much important. We are destroying our forests, but we are not improving our forest-acreage. There are so many schemes evolved on paper but they are not put into practice. Sir, I am not taking this opportunity to say anything against the Minister, who is from my own State, Shri T.R. Baalu, but I am very unhappy to say about the afforestation programme. I don't know what that Ministry is doing. As far as our State is concerned, not even a single plant has been ever put on earth, even though the Minister hails from my State. We are lagging behind in the administration of forestry. There is only general administration than the real administration of forestry. Sir, it is a project to be coupled with many other departments, not only

harnessing of river waters, but also to see to it that the Ministry of Environment and Forests does a little bit in the matter. In addition, the national unity should be thought of in this matter. We should say to the neighbouring States, "Please share water with your brothers because your brother is doing so much to you in other matters."

Sir, with these words, I appeal to the concerned Minister to have a national outlook, in the matter, because there is an urgent need for it. Otherwise, every summer season, we have to cry, "Please give us water."

Thank you.

श्री अहमद पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पेयजल की कमी, जो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में जो अल्पकालिक चर्चा हो रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूं ।

महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि जल जीवन के लिए भी आवश्यक है और प्राणियों और पेड़-पौधों के लिए भी आवश्यक है लेकिन विडम्बना यह है कि पृथ्वी का अतीव हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद भी संसार में पेयजल का अभाव है । मैं particularly किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं करना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि इस गंभीर समस्या पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया । आज़ादी के पांच दशक बीतने के बाद और नौ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गांव हैं या ऐसे कई शहर हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । पानी है तो साफ नहीं है या हर रोज़ मिलना चाहिए तो हर रोज़ नहीं मिल रहा है । पॉल्यूटेड वाटर है, प्रदूषित है, उसके कारण बीमारियां फैलती हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा । लेकिन 34 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी और देश में इतनी सारी राशि खर्च करने के बावजूद, अभी भी यह समस्या वहीं की वहीं है । हमेशा यह कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है । प्रश्न के जवाब में भी या जब चर्चा होती है तब भी, लेकिन अभी हमारे साथी एन. जोथी बता रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया कि केन्द्र सरकार जब तक इसमें ध्यान नहीं देगी या ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है । It is a common practice to dismiss the issue of providing water as a State issue राज्य सभा में भी क्वेश्चन नंबर 159 के उत्तर में 1 अगस्त, 2001 को यह कहा गया था- However, legal position in terms of Constitutional provisions is quite different. Article 256 says, "Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List - 1 of the Seventh Schedule -- Union List. Now, Entry 56 of List -1 of Seventh Schedule that is Union List reads as follows..." -- I quote -- "...Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. Entry-17, under List-2 of Seventh Schedule provides that 'water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage

and water power subjects to the provisions of Entry-56 of List-1" और इसीलिए मेरा सुझाव है कि Therefore, it is clear that the Central Government is conferred with powers to regulate and develop inter-State rivers and, therefore, I call upon this Government to utilise its powers for the benefit and welfare of people belonging to scarcity-hit areas. समस्या गंभीर इसलिए है कि युनिसेफ की जो रिपोर्ट है, उसको मैं यहां क्वोट करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि nearly one million children in India die of diarrhoeal diseases each year direct as a result of drinking unsafe water and living in unhygienic conditions. Some 45 million people are affected by way of quality problems caused by pollution, by excess fluoride जिसके बारे में केशूभाई अभी कह रहे थे । Arsenic, iron or by the ingress of salt water. Millions do not have adequate quantities of safe water, particularly during the summer months. जिसका ज़िक्र पचौरी जी ने भी किया था ।

"In rural areas, women and girls still have to walk long distances, and spend up to four hours every single day to provide the household with water. With increasing opportunities for women to engage in productive employment, the opportunity cost of the time increasingly carries monetary value. If the opportunity cost were taken into account, it would be clear that in most rural areas the households are paying far more for water supply than the often nominal rates charged in the urban areas. These considerations are yet to become a part of the decision-making criteria in water supply programmes". The NGO, Navdanya, जो नई दिल्ली से निकलता है, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की हैं कि किस तरह से यह समस्या गंभीर है । इसके बारे में मंत्री जी को भी मालूम होगा । Areas affected by drought are on the increase. As many as thirty of the country's total 35 meteorological sub-divisions suffered from drought in the summer of 2001. In Chattisgarh, 69 lakh people in 9 out of 16 districts; in Gujarat, 291 lakh people in 23 out of 25 districts; in Madhya Pradesh, 95 lakh people in 32 districts; in Orissa, 270 lakh people in 24 districts; in Rajasthan, 330 lakh people in 31 districts out of 32 districts; in Himachal Pradesh, 4 out of 12 districts; and in Maharashtra, 21 districts out of 36 districts. Ground water is being not non-substantably exploited, particularly in Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh. In areas with extensive monocropping, such as Punjab and Haryana, this exploitation has reached 100 per cent in some districts. In Mehsana, Gujarat, the rate of ground water exploitation has increased by 145 per cent during 1984-1992. The national cost of fetching water is 150 million women days each year, causing a national loss of Rs. 10 million per year. Ninty million days are lost every year due to water-borne diseases. Eighty per cent of the children of India

suffer from water-borne diseases. Of these 7,00,000 die every year. Forty-four million people suffer from problems related to water quality -- the presence of fluoride, iron, nitrate, arsenic and salinity. The sale of bottled water is increasing by 30 per cent a year. जब यह समस्या है, ये हालात हैं तो मैं समझता हूं कि इस विषय में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा । जो बजटरी प्रोविजन था, उसके बारे में सुरेश पचौरी जी ने शुरू में ही जिक्र किया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा लेकिन खास तौर पर जो तीन-चार चीजे हैं, उनके बारे में मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा । राजीव जी का जो टेक्नोलॉजी मिशन था, और जो राशि ईयर मार्क की गई थी, मुझे नहीं मालूम उस पर क्या हो रहा है, मंत्री जी कम से कम अपने उत्तर में इसके बारे में कुछ जिक्र करें । दूसरी बात यह कि जो योजना है एक्सलेरेटड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, वृहत् ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और पी.एम.जी.वाई. (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना), ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए आप प्रदेश सरकारों को पैसे भेज रहे हैं । पैसे का क्या होता है ? खर्च होता है या नहीं होता है ? या पैसे कहीं और किसी और काम के लिए डाइवर्ट किये जाते हैं । इसके लिए कोई मोनिटरिंग सिस्टम है भी या नहीं, अगर इसके बारे में जानकारी मंत्री जी अपने उत्तर में देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा । एक और बात मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 19, 20 अक्टूबर, 2001 को राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी । उसमें कुछ सिफारिशें की गई थी, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, जो सिफारिशें हुई थीं उसकी रिपोर्ट आपके पास है । उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर कुछ कदम उठाए गए, कुछ प्रोगेस हुई या नहीं, यह भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा । मैं खास तौर पर अपने गृह प्रदेश का जिक्र करूंगा, जिसके बारे में केशुभाई जी ने बड़े अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है, वहां जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वह बद से बदतर है । पिछले कई सालों में जिस तरह से वहां सूखा पड़ा है, वहां जो नदियां हैं, वे बरसाती हैं, बारिश पर आधारित हैं, बारिश होती है तो पानी मिलता है । खास तौर पर उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की जो परिस्थिति है, वह काफी भयंकर परिस्थिति है । उसके बारे में सरकार को खास तौर पर ध्यान देना होगा। वहां की स्थिति को मैं बद से बदतर इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल पर कैपिटा अवैलेबिलिटी जो है वह 2208 क्यूबिक मीटर है लेकिन गुजरात में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या है? 360 क्यूबिक मीटर। इससे पता चलता है कि वहां की स्थिति कितनी गंभीर है। पानी का जो स्तर है, लेविल है वह बहुत ही नीचे चला गया है। हजारों फीट नीचे से पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगाना पड़ता है।

फ्लोराइड की बात की गयी। लोग अपाहिज हो जाते हैं, लूले, लंगड़े हो जाते हैं। यहां तक कि केशुभाई ने कहा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां लोग अपनी लड़कियां देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में खास तौर पर ध्यान देना होगा। समस्या तो यहां तक गंभीर है, केशुभाई जी को मालूम ही होगा, जब वे मुख्य मंत्री थे कि पानी के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे और उन पर गोलियां बरसायी गयीं। इससे पता चलता है कि वहां की स्थिति कितनी गंभीर है। कानून और व्यवस्था की जो परिस्थिति है, वह भी खराब होती जा रही है। पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यहां की जो योजनाएं हैं उनके लिए पैसा तो वहां प्रदेश में जाता है, वहां बजट में प्रावधान भी किया जाता है, वहां पर पाइप लाइन है, ओवरहेड टैंक भी है, लेकिन पानी नहीं है क्योंकि उसके लिए जो पैसे चाहिए, बजट में तो प्रावधान किया जाता है, लेकिन पैसे होते नहीं हैं। 10 साल में गुजरात

में 4 हजार करोड़ का प्रावधान तो किया गया, लेकिन खर्च कितना हुआ? सिर्फ 2500 करोड़ । कम से कम इन चीजों पर ध्यान देना होगा।

आज गुजरात के 18 हजार गांवों में से 7300 गांव ऐसे हैं जो पानी की गंभीर समस्या झेल रहे हैं। 25 में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स झेल रहे हैं और जो 143 म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें से 98 म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं कि जहां पर पानी की समस्या है और जहां हर रोज पानी मिलना चाहिए लेकिन या तो हफ्ते में एक बार मिलता है या दो बार। जो भूकम्प आया उसकी वजह से जो पानी के स्रोत थे वे भी बंद हो चुके हैं। शहरों की हालत तो उससे भी बदतर है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज के पास पैसे नहीं हैं, कुछ साधन नहीं हैं।

नर्मदा के बारे में, सरदार सरोवर के बारे में केशुभाई जी जिक्र कर रहे थे। मैं उनके साथ सहमत हूं। हम सबको मिलकर उसका हल ढूंढना होगा। लेकिन मैं यह भी कहूंगा, यहां पर फ्लोर आफ द हाउस में कि वहां के प्रदेश की सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, जो लीगल बैटल चल रही थी उसमें अगर ठीक तरह से ध्यान दिया होता तो यह परिस्थिति, यह स्थिति नहीं होती। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधान मंत्री थे, मुझे याद है खुद गए थे। इन्वायरनमेंटल क्लियरेंस जो था, वह उन्होंने जाकर दिया था। जोरों से काम शुरू हुआ था। काम शुरू होने के बाद पिछले कुछ सालों में क्यों बंद हो गया? सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। उससे पहले और भी सरकारें थीं, जो आपकी पार्टी की सरकारें थीं, उनका रवैया क्या रहा, उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। जब प्रधान मंत्री जी चुनावी प्रचार के लिए गए थे , मैं कोई राजनीति लाना नहीं चाहता, लेकिन जब केशुभाई जी ने जिक्र किया तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था - आप भी उस डायस पर थे, आडवाणी जी की कैम्पेन के लिए जब गए थे - कि जिस तरह से कावेरी का मसला हमने हल किया है, हमारी सरकार आएगी, हम संबंधित मुख्य मंत्रियों को बैठाएंगे और इसका हल भी तुरंत निकालेंगे। आज उसको भी कितने साल हो गए। मैं समझता हूं कि हम लोग साथ मिलकर यह काम करें। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। सब एमपीज को साथ जाकर, बात करके इसका हल निकालना चाहिए। मुख्य मंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं मैं उनका बचाव नहीं करना चाहता हूं। उनको भी जो कहना है, मैंने कहा है। उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने गुजरात के जो नये मुख्य मंत्री थे, मोदी जी के साथ बैठकर, अमर सिंह चौधरी की प्रेजेंस में जब लीडर्स गए थे, उनके साथ बैठकर बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बारे में जो भी सहयोग देना होगा, सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। बैठकर उसका, मेरे ख्याल से कोई रास्ता निकालना होगा और उसमें हमारी तरफ से जो सहयोग देना है उसके लिए मैं उनके साथ सहमत हूं। जब तक सरदार सरोवर नहीं होगा तब तक गुजरात का पानी का मसला हल नहीं होगा। यह बहुत ही जरूरी है। यह हमारा प्राण प्रश्न है। उसके लिए गुजरात, गुजरात के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और उसमें हम गुजरात के लोगों के साथ हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जब सरदार सरोवर पर नहीं हो रहा था तो एक योजना बनी थी जब कांग्रेस की सरकार थी, नर्मदा से पाइप लाइन ले जाकर सरदार सरोवर और बाकी एरियाज में देंगे। मुझे नहीं मालूम उसके बाद उस योजना का क्या हुआ। क्यों बंद हो गयी, क्यों बंद कर दी गयी? उन्होंने चेक डैम्स के बारे में जिक्र किया। चेक डैम्स 40 और 60 का जो रेशियो है, उसमें बनाना बहुत अच्छी बात है। 14 हजार मेरे ख्याल से हैं या हजारों चेक डैम्स बने हैं ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि चेक डैम्स की क्या स्थिति है,

क्या हालत है। कम से कम उसके बारे में भी थोड़ा सर्वे होना बहुत ही जरूरी है। पता नहीं अगर ज्यादा बारिश हो गयी तो चेक डैम्स की क्या हालत होगी, यह अगर वहां के लोगों से पूछेंगे तभी पता चलेगा कि वहां के चेक डैम्स की क्या स्थिति है। नतीजा तो तब आता है जब चेक डैम में पानी आ जाए और वहां के लोगों को फायदा हो। यह बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैं समझाता हूं कि खास तौर पर सोचना होगा । मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कुछ सुझाव हैं, खास तौर से ड्रिंकिंग वॉटर क्राइसेस के बारे में, उन्हें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा । There is an urgent need for effectively implementing water harvesting schemes, जिसके बारे में शुरू में ही जिक्र आया था, and, particularly, rain water, so that the ground water table could be brought up. Major rivers of the country are required to be connected with each other, so that a water grid can be established, and water can be supplied to scarcity-hit areas from such grids, via a network of canals. There is a need to encourage traditional methods of water storage like lakes, wells, and water tanks. Nowadays, there is a tendency to level out such structures for real estate purposes. Prohibition must be imposed on such activities. Drinking water must be supplied through pipelines, where there is no source of water, and efforts should also be made towards exploring new avenues for finding out the source. Important and crucial projects like Sardar Sarovar Yojana must be given prime importance. Possibility of employing innovative technologies like reverse osmosis, membrane technology and desalinisation plants खास तौर से कच्छ एरिया में और बाकी जगह पर यह करने की जरूरत है । कुछ शुरू हुआ है, उसको आगे चलाने की जरूरत है, for converting saline and non-potable water into potable water has to be explored for implementation in coastal and no-source areas. I believe that even the economic viability of such technologies will compare favourably with that of laying long distance pipelines and creating pumping facilities. The Central Government should provide huge financial resources to local self-government bodies, and make it a joint effort. क्योंकि आज पंचायत म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा ही नहीं है । जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा तब तक मेरे ख्याल से जो उनके लिए योजनाएं हैं वे कागज़ों पर ही रह जायेंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल हो जाएगा ।

ये मेरे कुछ सुझाव थे जो मैंने आपके और सदन के सामने रखे हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पानी का सवाल आदमी की जिन्दगी के लिए सब से जरूरी सवाल है । पानी केवल हमारे पीने के काम ही नहीं आता, बल्कि हमारे खाने के लिए भी मदद करता है । आम तौर से जमीन के नीचे का पानी और कुछ साफ नदियों का पानी तो हम पीते हैं, लेकिन ऊपर का पानी और नीचे का पानी हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं । इसलिए मैंने कहा कि पानी का सवाल इंसान की जिन्दगी के लिए बहुत

महत्वपूर्ण है । यह सवाल शायद कभी हल नहीं हुआ और न इसको हल करने का प्रयास किया गया । जब यह गर्मी का मौसम आता है और कहीं-कहीं पेयजल के बारे में जब लोग संकट में पड़ते हैं तो पार्लियामेंट में एक लंबी सी बहस छिड़ती है, उसके अलावा कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं होता । केन्द्र सरकार पानी के मामले में बहुत असहाय है । आम तौर से वह बोल देती है कि यह राज्य का विषय है, हम कुछ नहीं कर सकते । कई जगह पानी के विवाद भी हैं । नदियों के पानी के विवाद कहीं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कहीं आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, कहीं मध्य प्रदेश बनाम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में, इधर उत्तर में सतलुज-यमुना को ले करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में और कभी-कभी तो इतनी सही बोली सुनने को मिलती है कि खून की धारा बह जाएगी, लेकिन नदी का पानी नहीं जाएगा । अभी हमारे तमिलनाडु के मित्र बोल रहे थे कि हमारे यहां पीने के पानी का बहुत संकट है, खास तौर से चेन्नई में, लेकिन मैं जानता हूं कि जब पांडिचेरी को पानी देने की बात उठती है तो वहां पर भी नाक-भौंह सिकोड़ा जाता है ।

राज्य आपस में उलझते हैं और केन्द्र सरकार असहाय की तरह रहती है । वह कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यह राज्य का विषय है । महोदय, यह रोना दिल्ली में बैठकर कितने दिनों तक रोया जाएगा । महोदय, पानी इंसान की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सवाल है और पानी न केन्द्र सरकार ने पैदा किया है और न राज्य सरकार ने पैदा किया है । यह तो कुदरत ने पैदा किया है । मैं जानता हूं कि राज्य सरकारें नहीं मानेंगी, लेकिन कहीं न कहीं तो दखल देना पड़ेगा । महोदय, हद से हद ये लोग दखल देते हैं आर्बिट्रेशन विठालकर, इस से ज्यादा नहीं । लेकिन दखल देना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है सन् 1946-47 या और पहले सन् 1930-32 में जो देश की आबादी थी, उस के लिए जितना पानी नदियों में बहता था, जितना पानी आसमान से गिरता था और उस समय शायद 10-15 करोड़ की आबादी रही होगी, लेकिन आज भी उतना ही पानी बहता है, उतना ही बरसात का पानी आता है, तो क्या आप उस का प्रबंधन केवल राज्यों को, जिलों को या छोटी-छोटी इकाइयों पर छोड़ेंगे ? यह खतरनाक बात होगी । महोदय, मैं खास तौर पर जमीन के नीचे के पानी के बारे में कहता हूं कि जमीन के नीचे का पानी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस में एक अपराधवृत्ति आ गयी है । जमीन के ऊपर के पानी पर अगर हम कोई नाजायज हरकत करें तो हम पर आपराधिक मुकदमा जाफ्ता फौजदारी ताजेराती हिंद की कितनी ही दफाओं में चलेगा, लेकिन मिट्टी के नीचे के पानी के बारे में अगर हम कोई अपराध करें तो हमारे ऊपर मुकदमा चलाए जाने की कोई धारा नहीं है, कोई कानून नहीं है । उपसभाध्यक्ष जी, मान लो कि यहां हमारा घर है और हम ने उस में ट्यूबवेल खुदवा लिया या पंपिंग सेट लगवा लिया । तो हमारे घर के पानी से हम 50 घर नीचे जो पानी बह रहा है, वह पंपिंग सेट से खींच लेंगे। महोदय, हम आप के दरवाजे से सामान लेकर भाग जाएं तो पुलिस जेल में डाल सकती है, लेकिन आप की जमीन से पानी चुरा लें तो हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो जमीन के नीचे के पानी का दोहन हो रहा है, इस को अपराध की श्रेणी में लेने की आप कोशिश कीजिए । इस संबंध में कोई कानून बनाइए । यह कहकर मत छोड़ दीजिए कि हम ने राज्य सरकारों को एक दस्तावेज सर्कुलेट किया है,राज्य सरकारें उसे मानें या न मानें । महोदय, हम ने कई बार दस्तावेज पढ़ा है जिस में आप कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार हमारी कुछ बातों को मानती है, लेकिन दूसरी कोई राज्य सरकार नहीं मानती है । महोदय, जब देश आजाद हुआ था तो हम 40 करोड़ थे और आज 115-120 करोड़ हो गए हैं, लेकिन पानी उतना ही है बल्कि वह पहले से

बहुत ज्यादा गंदा हुआ है । उपसभाध्यक्ष महोदय, पंजाब की खेती व हरियाणा की खेती और वहां के जमीन के नीचे के पानी के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन उस में पता नहीं कितने रसायन मिल गए हैं । वहां जमीन तो पहले से ऊसर थी और पानी गंदा है, लेकिन गहन खेती होती है। महोदय, बरसात के मौसम में उसी मिट्टी से छनकर जब पानी नीचे जाता है, तो वहां खाद पड़ी है, रसायन पड़ा है तो वह पानी हमारी सेहत पर असर डालेगा या नहीं ? पैदावार बढ़ाने के लिए चाहे वह गेहूं की हो या धान की हो, हम खाद का इस्तेमाल करेंगे या नहीं ? तो फिर पानी बरसेगा और जमीन में जब्त होगा । लेकिन उपसभाध्यक्ष जी सारा बरसात का पानी भी जमीन में जब्त नहीं होता । जो पानी बरसता है, उस का 65-70 सैकड़ा पानी समुन्द्र में बह जाता है और केवल 30 सैकड़ा पानी हमारे पास बचता है । फिर पानी जमीन के भीतर चला जाता है या नाले वगैरा में चला जाता है क्योंकि तालाब तो अब रहे नहीं हैं । वहां जितने ताकतवर लोग थे, उन्होंने तालाबों पर कब्जा कर लिया और खेती कर रहे हैं या उस पर मकान बनवा लिया है।सरकार ने पट्टा कर दिया । आज तालाब नाम की कोई चीज कहीं नहीं है । हम बहुत ठीक से देखते हैं, हम पानी के दर्द को इसलिए भी ज्यादा जानते हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जब हम ग्यारहवें, बारहवें दर्जे में पढ़ते थे तो हमारे घर का कुंआं गर्मी के दिनों में आठ बजे के बाद सूख जाता था, इसलिए हम सबेरे बीस-पच्चीस बाल्टी पानी खींचकर अपनी मां के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी दादी के लिए रख़ देते थे । दरवाजे पर एक दो बैल होते थे, उनके खाने पीने के लिए भी रखते थे । उस कुआं में आठ बजे के बाद कीचड़ हो जाता था । यह दर्द हमारा बहुत दिनों का है, गर्मी के दिनों का है । कई बार हम सोचते थे कि इसकी सफाई की जाए । कभी कभी दस दस, पन्द्रह पन्द्रह साल में उसमें से मिट्टी निकाली जाती थी, जो दो चार साल चलती थी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मांग की जाती है कि नदियों की सफाई करा दो, तालाबों की सफाई करवा दो, बहुत गाद भर गया है, थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती । यह आफीसर, जो गैलरी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा बल्कि जो जिलों में कलेक्टर, इंजीनियर वगैरह हैं उनकी बात कर रहा हूं । वह सोचते हैं कि यह सूखा तो दस दिनों के लिए आया है, उसके बाद बरस जाएगा तो सब ठंडा हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा । यह चलन हो गया है, यह हिन्दुस्तान की नौकरशाही की सोच हो गई है । इसी तरह बाढ़ के दिनों में यही चलन है कि दस दिनों के बाद बाढ़ का पानी चला जाएगा, कोई इस पर हल्ला नहीं मचाएगा, दस दिनों तक चुप रहा जाए । थोड़ा बहुत काम कर देते हैं । यह आफत हर साल आ रही है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने कहा है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, पानी में कई तरह के रसायन होते हैं । नीलोत्पल बसु जी बैठे हैं, अगर बनारस से गंगा नदी का पानी लेकर बोतल में रख दिया जाए तो उसमें पांच साल तक, चार साल तक कीड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन जब वही गंगा नदी बंगाल में जाती है तिरसा नदी बन कर, तो उसके नीचे जो पानी बहता है उससे जो आदमी नहाते हैं उनको चमड़ी के रोग हो जाया करते हैं । कलकत्ता जाते जाते गंगा बूढ़ी हो जाती है, बनारस तक गंगा जवान रहती है । बुढ़ापे में जो रोग लगता है, उस नदी को भी रोग लग गया, जिसके पानी को बोतल में रखने पर आठ साल तक, दस साल तक कीड़ा नहीं लगता । यह पानी का भी चरित्र होता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर के बारे में केशुभाई जी बहुत जोर से बोल रहे थे । यह जो राज्य सरकार की सरहदें हुआ करती हैं, वहां अपने अपने स्वार्थ के लिए काम होते हैं, लेकिन यह संसद है । हमको याद है, जिन दिनों हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव डालते थे कि इस बांध को थोड़ा बढ़ाने दो, पानी आगे जाने दो, आगे राजस्थान भी है, तो वह राजी नहीं होते थे । हमको यह भी याद है कि जब हमने गुजरात की सरकार को कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, कि हमारे यहां पाइप-लाइन आ जाने दो, हम कोई काम अपने सूबे में शुरू करेंगे तो गुजरात के लोगों ने कहा कि तुम्हारे सूबे में पाइप लाइन नहीं जा सकती है । यह एक प्रवृत्ति होती है, दौलत को समेट कर रखने की इंसानी प्रवृत्ति होती है । हमारे पास जो दौलत होगी तो उसे हम अपने लिए छिपा कर रखेंगे । लेकिन, यह इंसान की जिंदगी का सवाल है, इसलिए सूबे की सरहद से ऊपर उठकर सोचना होगा और इसे केन्द्र की सरहद में लाना होगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले बीस-पच्चीस साल से इलाहाबाद शहर से एमपी0 होकर आने लगा था बल्कि और ज्यादा, तीस साल से लोकसभा में आने लगा था । हमारे यहां बुंदेलखंड की पहाड़ी पड़ती है । यहां से लोग जानवर छोड़कर भाग जाते हैं और जानवर बिना पानी के मर जाते हैं । लोगों को पानी नहीं मिलता, इसलिए अपना इलाका छोड़ कर शहर की तरफ चले आते हैं । बांदा होकर, सतना होकर, झांसी तक, पूरा बुंदेलखंड पानी के चक्कर में पड़ जाता है । हर साल गरमी के दिनों में वहां के कलेक्टर, वहां के कप्तान को लोग घेरते हैं और वहां अधिकारी पानी के टैंकर लेकर आते हैं । कैसे इस तरह काम चलेगा ? चल ही नहीं सकता । एक बार हमने सोचा कि पत्थर निकाल के पानी निकाल दिया जाए क्योंकि पत्थर के नीचे भी पानी है । यह जो पथरीले इलाके में लोग पानी की बात करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पत्थर के नीचे भी पानी है, पत्थर खुदवाकर भी पानी निकाला जा सकता है। बहुत बड़ी मशीन होती है । तो हमने 4-6 जगह खुदवाया, उस सरकार ने यहां तक नहीं किया कि चालू करवा दे । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अभी तो राज्य लड़ रहे हैं, लेकिन पानी का संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, इस बारे में एक दार्शनिक ने कहा था कि यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा । इसलिए अपने यहां के पानी के बारे में भी सोचिए । बहुत सी नदियां हैं जो कई देशों से बहकर आती है । कोई चीन से बहकर आती है । गंगोत्री भी हिन्दुस्तान में नहीं है, यमुनोत्री भी हिन्दुस्तान में नहीं है, चीन से बहकर आती है । कोई पाकिस्तान से बहकर आती है, कोई नेपाल से बहकर आती है । पानी के सवाल पर हम अगर अपने राज्य के दायरे में घिरकर लड़ते रहेंगे तो दूसरे देश अपने राष्ट्र के दायरे में घिरकर क्यों नहीं लड़ेंगे ? हमको अपना आचरण बदलना पड़ेगा । मैं चाहूंगा कि जमीन के नीचे का पानी निकालने के बारे में एक सख्त कानून बनना चाहिए । इतना सख्त पहले मत बनाइए कि सीधे ही जेल भेज दें, लेकिन जो कोई भी ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट लगाता है, उसके ऊपर बंदिश होनी चाहिए कि पहले वह अपनी सरकार और अपने कलैक्टर से परमिशन ले, तब वह लगाए । सरकार और कलैक्टर के पास सिंचाई विभाग या जल विभाग के इतने इंजीनियर होने चाहिए कि वे जांच करें कि नीचे कितनी दूर तक पानी है और यह कितनी दूर के पानी को प्रभावित करेगा । इसके बाद भी अगर कोई जोर-जबर्दस्ती करता है तो दो-चार साल के बाद 6 महीने या साल की सजा के साथ कानून बनाना पड़ेगा, तभी जमीन के नीचे के पानी का दोहन रोका जा सकता है ।

दूसरे मैं वाटर शैड के बारे में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, मुम्बई वगैरह में यह बहुत सफल हुआ है । हमारे यहां भी राष्ट्रपति भवन में यह बड़ा सफल हुआ है और जो वहां

6.00 p.m.

पानी गिरता है तो उससे उनके बगीचे की हरियाली बहुत अच्छी रहती है । जेलों में भी हुआ है । ऐसा नहीं है, कि नहीं हुआ है, कहीं-कहीं इसका प्रयोग भी हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि जितने हमारे एम0पी0 या मिनिस्टर लोगों के बंगले हैं, इन पर यह इंतजाम या प्रयोग नहीं हो सकता ? क्यों इनको खाली रखा गया है ? वह पीने के काम तो नहीं आएगा, लेकिन बाग-बगीचा सींचने और हाथ-मुंह धोने के काम तो आएगा । यह जो हमारी अरावली वाली पहाड़ी है, वहां पानी बिल्कुल नही चढ़ता । उधर बहुत से बंगले हैं जिन पर यह इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए । ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर लम्बा नहीं बोलना है, एक-दो सुझाव ही देने थे। एक तो सख्त कानून बने और दूसरा केन्द्र को साफ-साफ राज्यों से कह देना चाहिए कि हिन्दुस्तान की जनता केवल तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी है । अगर वह पानी बिना मरने लगे तो उसकी हिफाज़त का जिम्मा हमारा भी है और यह ज़िद मत करो कि यह राज्य का बिषय है, पानी के अभाव में केन्द्र किसी को मरने नहीं देगा और जरूरत पड़ेगी तो कड़े से कड़ा कानून बनाकर उनकी हिफाज़त करेगा । धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का समय दिया । मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूं, इस नाते यहां उपस्थित सभी सदस्यों से सहयोग की कामना करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत गंभीर विषय है। स्वाधीनता के 54 साल बाद भी आज हम इस देश के नागरिकों की पीने के पानी की समस्या का हल नहीं निकाल पाए । जल मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, जल ही जीवन है, एवम् जल के बिना मनुष्य जी नहीं सकता । महोदय, जिस समय केन्द्र में एनडीए की सरकार आई थी, उन्होंने अपने नेशनल एजेंडा फार गवर्नेंस में संकल्प लिया था कि हम पांच साल के अंदर इस देश की पीने के पानी की समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे और इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे । सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लिए, योजनाएं बनाईं, योजनाओं का सुफल भी मिल रहा है लेकिन चूंकि पीने के पानी का विषय राज्य सरकारों के अधीन है, इसलिए जो भी केन्द्र सरकार की योजना बनती है उसके कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकार पर होता है, इसीलिए कभी-कभी जो योजनाएं बनती हैं वे ठीक समय पर लोगों के पास नहीं पहुंच पाती हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी सहायता या इन कार्यक्रमों के लिए जो भी धन राज्य सरकारों को देते हैं, आप यह सुनिश्चित कीजिए कि वह धन समय पर खर्च होता है या नहीं और जिस कार्यक्रम के लिए दिया गया है, उस पर खर्च किया जाता है या नहीं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, योजना के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता है । मैं ऐसे प्रदेश से आया हूं, जिस प्रदेश की 47 परसेंट जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है । उस प्रदेश में हर दूसरे साल सूखा पड़ता है और हर तीसरे साल बाढ़ आती है । इतना ही नहीं, ढाई साल पहले जिस प्रकार का तूफान उड़ीसा में आया था, उस तूफान से हमारे प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी । आज उड़ीसा के लोग इन प्राकृतिक विपदाओं से लड़ रहे हैं । इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश भाग

में पीने के पानी की गंभीर समस्या है । विशेषकर पश्चिमी भाग में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, जहां आज भी पीने के पानी के लिए लोगों को 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था रेलवे वैगंस के माध्यम से भी की जाती है । इससे हमें मालूम पड़ता है कि पीने के पानी की समस्या इन क्षेत्रों में कितनी गंभीर है । महोदय, पीने के पानी के अभाव में इस क्षेत्र के लोग गंदा पानी पीने को विवश होते हैं और इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में योजना आयोग ने नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, उसमें भी कहा गया है कि उड़ीसा के केवल 32 परसेंट लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध है, जब कि राष्ट्रीय औसत 62 परसेंट है । इसलिए उड़ीसा की स्थिति बहुत गंभीर है । केन्द्र के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को धन के अभाव में राज्य सरकार ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है । इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और इसके कारण मैचिंग ग्रांट का जो धन है, वह ठीक समय पर न देने के कारण किसी योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है । इस प्रकार राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पीने के पानी का कार्यक्रम पिछड़ता जा रहा है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार ग्राम सड़क योजना का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, उसी प्रकार प्रदेश के स्तर पर ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं और इन कार्यक्रमों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय कार्यक्रमों के रूप में लिया जाए तथा इन कार्यक्रमों के लिए जितनी धनराशि की जरूरत हो, वह 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराए । मेरी मान्यता है कि ऐसा करने से ही राज्यों में इस समस्या का समाधान हो सकेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश में 40 परसेंट पीने का पानी ट्यूबवैल या हैंडपंपों के माध्यम से आ रहा है लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन ट्यूबवैलों में से लगभग 50 प्रतिशत ट्यूबवैल उचित रख-रखाव के अभाव में बंद पड़े रहते हैं । पानी का स्तर निरंतर गिर रहा है और बाकी जो ट्यूबवैल्स हैं, उनसे भी कभी-कभी पानी नहीं मिल पाता है । इसका एक मुख्य कारण उस अंचल में जंगलों का कटना भी है । लोगों द्वारा अंधाधुंध पेड़ काटने से जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और इसके कारण पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है । इसके लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए और जंगलों को काटने के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । इसके साथ ही सरकार को जल-स्तर को ऊपर उठाने के कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना चाहिए । वाटर शेड मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक रुफ वाटर हारवेस्टिंग जैसे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस काम के लिए गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता लेनी चाहिए और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इस काम में लोगों की सहभागिता बढ़ानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, इन सब कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। यह काम केवल गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए सरकार को इन कार्यक्रमों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ठीक से कराना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा जैसे गरीब प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग दे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस बारे में उचित ध्यान देगी। आज यह जो चर्चा हो रही है, मुझे विश्वास और आशा है कि आने वाले दिनों में इस गंभीर समस्या को हल करने में यह सहायक होगी। धन्यवाद ।

प्रो0 रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पीने के पानी की समस्या पर, चर्चा प्रारम्भ की । कई माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मनुष्य की कुछ मूलभूत बुनियादी समस्याएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान और इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी समस्याएं हैं। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी बैठे हुए हैं, हम लोग इनका भाषण कराते थे, ये भाषण देने के लिए हमारे क्षेत्र में जाते थे, हमारे नेता रहे हैं, अभी भी नेता हैं। ये हमें नारा देते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। पता नहीं उसमें पानी कहां रह गया। शायद उस समय सोचा गया होगा कि जब रोटी मिलेगी तो उसके साथ-साथ पानी भी मिलेगा। उस समय ऐसी कल्पना नहीं की गई होगी कि आजादी के 54 वर्ष के बाद भी हम अपने देश के नागरिकों को पीने के लिए शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा पायेंगे। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

महोदय, हम हर वर्ष इस सदन में इस विषय पर चर्चा करते हैं। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उनका दायित्व होता है, उनकी जवाबदेही होती है कि अगर हम दोनों टाइम रोटी नहीं दे सकें, पूरे शरीर को कपड़ा नहीं दे सकें, रहने के लिए घर नहीं दे सकें तो कम से कम पीने के लिए पानी तो उपलब्ध करा दें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो आपने चर्चा आरम्भ की है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है कि इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, नौंवी पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था कि देश के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये। इस सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में भी ऐसा कहा गया है कि 2004 तक सभी ग्रामीण बस्तियों में पीने का पानी मुहैया करा दिया जायेगा। आपने भी चर्चा की थी कि इन्होंने अपने मेनीफेस्टों में कहा है कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगले पांच वर्ष में सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये। महोदय, हमारे यहां वर्षा की कमी नहीं है। हमारे यहां पर मानसून में अच्छी वर्षा होती है। इसके बावजूद भी हमारे यहां पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी की कमी है। ऐसा लग रहा है कि जितना हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान करें, उतनी ही समस्या गंभीर होती चली जा रही है । ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि 95 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में पीने के पानी का कवरेज हो गया है यानी पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। बिहार के बारे में भी एक जगह मैं रिपोर्ट देख रहा था , वहां भी शत प्रतिशत पीने के पानी की बात की गयी है । पता नहीं सरकार को हमसे या बिहार से क्या तकलीफ है कि लगभग 400 करोड़ रुपया हमारा इन पर बाकी है। कहते थे कि पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूं । महोदय, हमारे यहां पंचायत का ही नहीं, नगर पंचायत, म्यूसिपैलिटी, कारपोरेशन - इन सारी संस्थाओं का चुनाव हो गया है । अब

तो मंत्री जी कम से कम हमारा पैसा हमें दे दें । सरकार का कहना है कि 95 प्रतिशत गांवों में कवरेज हो गया है मगर एक एजेंसी की रिपोर्ट है, जो इंडीपेंडेंट एजेंसी है, उसका कहना है कि आधे से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें अभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है । दूसरी समस्या यह है कि जहां पीने का पानी है भी, गांव में, चापाकल के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से, वहां एक और समस्या है और वह है पीने के पानी की गुणवत्ता की समस्या। अभी पैटेल साहब बोल रहे थे, मुझे भी टी.वी. में देखने का मौका मिला कि एक ऐसा गांव भी है, जहां पानी की वजह से बच्चे विकलांग पैदा होते हैं जो वहां पर नौजवान हैं, बूढ़े हैं, उनके पांव की हड्डी या हाथ की हड्डी, कहीं न कहीं से वह टेढ़े-मेढ़े जरूर दिखाई देते हैं । पानी की गुणवत्ता की यह स्थिति है। महोदय, शहरों की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है । खास करके शहर में जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, उन्हें पानी मुहैया नहीं होता । एक माननीय सांसद कह रहे थे कि घंटों की बात तो छोड़ दीजिए, कई कई दिनों तक पानी मुहैया नहीं होता । अगर होता भी है तो आधा घंटा, एक घंटा या दो घंटे के लिए होता है । बड़े-बड़े लोग तो मिनिरल वाटर पीते हैं। पीने के पानी के संबंध में उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, वे मिनिरल वाटर पीते हैं । मगर जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपनी आमदनी से मिनिरल वाटर नहीं खरीद सकते, उनके प्रति हमारा दायित्व होता है कि पीने के पानी की हम व्यवस्था करें । अभी सम्मेलन की चर्चा की गयी । 20 अक्तूबर, 2001 को जो सम्मेलन हुआ था, उसकी सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले पानी का एक मापदंड था कि किस बस्ती को हम इस बात का प्रमाणपत्र देंगे कि उस बस्ती में पीने का पानी मुहैया किया जा चुका है। उसके लिए यह मापदंड था कि 1.6 किलोमीटर से कम दूरी से अगर पानी लाया जाये, प्रति दिन प्रति व्यक्ति को 40 लीटर पानी मिल जाए या पहाड़ी क्षेत्र में एक सौ मीटर की ऊंचाई का अंतर हो । मगर उस सम्मेलन में सिफारिश हुई और 1.6 किलोमीटर के बदले में 5 किलोमीटर रखा जाये, पहाड़ी क्षेत्र में जो एक सौ मीटर ऊंचाई का अंतर था, उसको पचास मीटर रखा जाये और जो चालीस लीटर पानी की बात थी, उसको उन्होंने,हमारे अहमद साहब ने 55 लिटर की बात कही थी, रखा जाये । महोदय, जिस सम्मेलन की अध्यक्षता मंत्री महोदय ने की थी और जिसमें फैसले लिए गये थे, उसे लागू करना सरकार का ही नहीं, मंत्री महोदय का भी दायित्व है। महोदय, हमारे देश में जमीन के नीचे जो पानी है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है । लगभग 90 प्रतिशत पानी की आवश्यकताएं हम लोग जमीन के नीचे जो पानी है, उसको खींचकर पूरी करते हैं । मगर उसमें से सिर्फ पांच प्रतिशत पानी घरेलू उपयोग में आता है और पांच प्रतिशत पानी जो उद्योग-धंधे हैं, उनके उपयोग में आता है । बाकी नब्बे प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग होता है । लेकिन सिंचाई के लिए जो नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके नहीं होने से सिंचाई का बहुत सारा पानी बरबाद हो जाता है, गलत जगह पर चला जाता है, इसलिए पानी के संरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी । जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगीकरण हो रहा है । हमारा जल संसाधन अगर इसी प्रकार बरबाद होता रहेगा तो हम कभी भी अपने देश के नागरिकों को शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा सकेंगे ।

महोदय, सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हुई हैं जैसे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना और प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना । इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को मदद मिलनी चाहिए। अभी मिश्र जी ठीक कह रहे थे कि अगर राज्य सरकारों के भरोसे इसे राज्य का विषय मानकर छोड़ देंगे तो बिहार जैसे प्रदेश को बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा ।

महोदय, हमारे यहां पानी की कमी नहीं है । अगर आप बाढ़ के समय में कभी यहां चलें तो देखेंगे कि जो चापाकल गड़ा हुआ रहता है, वह भी बाढ़ के पानी में डूब जाता है । हमारे यहां 28 ज़िले हैं जो छः महीने बाढ़ और जल-जमाव से प्रभावित रहते हैं । यह हालत हमारे यहां की है । यह हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि नेपाल से वे नदियां आती हैं और नेपाल में जब डैम बनेगा तभी उस पानी का उपयोग हो सकेगा । हमारा जो पैसा बाकी है, बिहार सरकार का जो पैसा बाकी है, अब तो कम से कम उसे रिलीज़ कर दीजिए । आपकी सरकार अभी केंद्र में है इसलिए आपका यह दायित्व बनता है कि कम से कम इस देश के नागरिकों को पीने का पानी अवश्य मुहैया कराएं, धन्यवाद ।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, the issue that we are discussing is a very important one. While raising this Short Duration Discussion, the hon. Member, Shri Suresh Pachouri, rightly said that it has, perhaps, become a ritual during the months of April-May when the entire country is confronted with this problem, that we talk about the drinking water crisis, but no effective measures are virtually taken by the Government of India to ameliorate this very, very serious problem. I need not say -- it is well within the knowledge of everybody -- that the other name of water is life. And, while the Right to Life is guaranteed by the Constitution of ours, right to water is not guaranteed. In vast areas of our country, thousands of people, if not lakhs of people, are languishing for want of potable water. In West Bengal, in the districts of Purulia and Bankura, the problem is quite perennial. And, right from Kalahandi of our neighbouring State, Orissa, up to Rayalseema in Andhra Pradesh, children go without water. No effective measures have been taken till now to provide potable water to these children of ours. Sir, I must say once again that this is a perennial problem. Our history of as early as the Third Millennium B.C. tells us that farming communities of Baluchistan impounded rain water and used it for irrigation. Dams were built out of stone rubble. These have been found in Baluchistan and Uchch. We should take lessons from history. Dholavira, a major site of Indus Valley Civilisation, which was as old as 3000 B.C. to 1500 B.C., had several reservoirs for collecting the monsoon rain. Wells were, perhaps, a Harappan invention. A recent archaeological survey of the Indus Valley Civilisation revealed that every third house had a well. After Independence, we have built so many big dams. Some of our hon. colleagues are convinced that only by constructing big dams we can resolve the problem of irrigation and the problem of drinking water. I am sorry, I do not agree with them. The approach should have been different. In fact, the planners of this country did not adopt the right approach to really go in for small dams, for digging ponds and wells, but and adopting a different approach. You have failed in this. Today, even after building so many dams, the

problem is still there. I do not know what the Remote Sensing Satellite Imagery says. But when I travel by air, I find that our river beds have gone absolutely dry. The water is hardly visible. The sub-soil water is getting eroded. What is of greater concern is that even in the areas where there is normally a record rainfall, there is water scarcity. Take the case of Cherrapunji, which is world famous. You have 1100 cubic metres of rain in Cherrapunji. But just imagine, we have water scarcity there! *...(Interruption)*... Shri Swaraj Kaushal has spent a number of years in that region and he is conscious of the fact that there is no water there. Drinking water is not available. It is a world crisis. I must say that it is an international crisis. Only three per cent of world's water is potable water. Only 3% of the entire world's water is potable water, and, out of that, one-third is inaccessible. So, unless we take a definite measure, unless we take a very comprehensive measure, or unless we view it in totality, unless we go in for rain water harvesting, which is very, very important. I would like to emphasise this point that we have been shouting for rain water harvesting for a very long time this problem will remain as it is. We have been shouting for rain water harvesting, but no concrete attempts have been made, no well-meaning attempts have been made to harvest the rain water. We are depending primarily on the ground water, or the sub-soil water. The sub-soil water -- and this is for the information of all; everybody, perhaps, knows -- is getting contaminated. I must say that in West Bengal, in three or four districts in the Ganga Basin, the potable water has become highly contaminated with arsenic. The way it should have been addressed, the way the Central Government should have addressed this problem, has not been done. The West Bengal Government has been addressing this problem. But I am sorry to say that the Rural Development Ministry, which is under a very dynamic leader of the BJP, Shri Venkaiah Naidu, is not coming up to the expectations of the people. The people who take this arsenic-contaminated water, suffer from irretrievable skin diseases, including cancer, perhaps. It is a very, very serious problem. I would give some statistics for the information of the House. According to the Central Water Commission, the total amount of surface water resource is 1818 cubic metres. The total amount of usable water resource is only 690 cubic metres. The ground water available is only 418 cubic metres. The total amount of usable water resource is only 1108 cubic metres. The total demand for potable water in the year 2000, that is, two years ago, was estimated at 750 cubic metres. If this trend continues, and when, as the Government is expecting, the population stabilises in 2025 -- yesterday, I

heard the Law Minister saying that the population will stabilise in the year 2025 -- the demand for potable water will go up to 1200 cubic meter. We have absolutely failed to address the situation. I am afraid, I am apprehensive, and I am also anguished, that a wholesome approach is not being taken by the Government of India to address the problem.

Sir, I would not take much time of the House. I know that I am the last speaker. *(Time-bell)* I am conscious, Sir, even before you ring the bell. I will very seriously appeal that this is a primary need for anybody to live. If this primary need is not being addressed properly, then, for what else the Government is there? With these few words, I would expect that the Government will take concrete measures, serious and well-meaning measures, and that it will come out with such a solution that we will not have to repeat this sort of a discussion in the years to come.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि पेय जल संकट जैसे महत्वपूर्ण लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं और हम अपने देशवासियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार की चर्चा हुई। यह प्रदेशों का सवाल नहीं है उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश का सवाल है। आज कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इस गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी मिल जाता हो। कहीं कहीं लिखा होता है - जल ही जीवन है। जब देखते हैं तो हंसी आती है कि इन लिखावटों और नारों को मिटा देना चाहिए क्योंकि हम अपने देशवासियों को पानी नहीं दे सकते हैं।

अभी माननीय अहमद पटेल जी जब चर्चा कर रहे थे तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की उन्होंने चर्चा की और सेफ वाटर के बारे में कहा। सेफ वाटर क्या यहां अनसेफ वाटर उपलब्ध नहीं है। सेफ वाटर का कहां सवाल है। माननीय श्री सुरेश पचौरी जी ने एक कान्फ्रेंस की चर्चा की और उसमें उन्होंने मिनरल वाटर की चर्चा की कि मिनरल वाटर पीकर जल की गुणवत्ता और जो स्वाद है उसको हम शायद भूल गए।

माननीय श्री सुरेश पचौरी जी मिनरल वाटर की चर्चा कर रहे थे, आज कुकुरमुत्ते की तरह पूरे देश में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां छा रही हैं और छोटे-छोटे कस्बों के बाजारों में मिनरल वाटर की बोतलें पहुंच गयी हैं। लेकिन हम अपने यहां गांवों में पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो व्यापारी हैं वे व्यापार करते हुए अपना माल वहां बेच रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर - हमारे ऊपर दायित्व है, चाहे आज सरकार हमारी हो, कल आपकी, उधर की रही थी - जिसकी भी सरकार रही हो, जिम्मेवारी सरकार की है कि हम अपने देशवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराएं, लेकिन हम नहीं उपलब्ध करा पाए। इसमें हम फेल हो गए।

आज हमने किसी अखबार में देखा कि दिल्ली में भी पेय जल संकट हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांवों से अब यह पेयजल संकट दिल्ली तक पहुंच रहा है। आदिवासी इलाकों में आप चले जाएं - सामान्य इलाकों में तो कहीं 2-4 मील से पानी लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पथरीले इलाके हैं, वहां तो 10-10 मील तक लोग पानी लाने के लिए जाते हैं। वहां जो आदमी, जो मनुष्य रह रहे हैं वे वस्तुत: जानवरों की स्थिति में इस पेयजल संकट के कारण रह रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति है। आने वाले दिनों में यह समस्या और भी भयंकर होने वाली है क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ मांग भी बढ़ रही है और जिस रफ्तार में मांग बढ़ रही है, उस रफ्तार में हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में जल उपलब्ध नहीं है। जल की उपलब्धता है लेकिन पूरे तौर पर जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था का परिणाम है कि आज हम पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं।

अगर उसका सफल प्रबन्धन हो तो हम इस संकट से छुटकारा पा सकते हैं । महोदय, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में लगभग 4 हजार बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होता है, जिसमें हिमपात और वर्षा के दोनों स्रोत जुड़े हैं । 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल नदियों में बहता है और शेष 2 हजार 21 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा का जल है । यह जल हमारे पास उपलब्ध है । एक मोटे अनुमान के अनुसार हम इस पूरी उपलब्धता का मात्र 45.5 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा यह कुप्रबन्धन है और इसको अगर हम ठीक से मैनेज करें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं । पूरे देश की 20 जो छोटी-बड़ी नदियां हैं, उनके बेसिन में जो जल है, उसका अगर ठीक से प्रबन्ध करें और उसको अगर हम अपने मैनेजमेंट के जरिए गांवों में पहुंचाने का काम करें तो हम इस संकट से छुटकारा पा सकते हैं । महोदय, सरकार का कहना है कि सन् 2004 तक, और जैसा किसी माननीय सदस्य ने चर्चा भी की कि एनडीए का जो गवर्नेंस एजेंडा है, उसमें इस बात की चर्चा है कि हम सारे देश में पेयजल का संकट हल कर पायेंगे । लेकिन हमको लगता नहीं है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं उस तरह से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि आज भी करीब-करीब 2 लाख 17 हजार ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है । अब हम दो साल में यह व्यवस्था कैसे कर पायेंगे ? हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी बताएं कि उनके पास ऐसी कौन सी कार्य योजना है जिससे कि हम दो वर्ष में, इस लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे ? महोदय, यह ठीक बात है कि पेयजल राज्य सरकार का विषय है, लेकिन राज्य सरकार का विषय कह कर हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते, रामदेव भंडारी जी मुक्त हो सकते हैं । रामदेव भंडारी जी ने अभी जो चर्चा की उसमें उन्होंने कह दिया कि केन्द्र सरकार सारा पैसा दे । लेकिन पिछला जितना पैसा आपको दिया गया उसका भी तो कुछ हिसाब-किताब दीजिएगा।

प्रो0 रामदेव भंडारी : बिहार के एमपी होते हुए भी आप बिहार के खिलाफ हैं । ... **(व्यवधान)** ... बिहार के इन्टरेस्ट को आप देख नहीं रहे हैं । ... **(व्यवधान)** ...

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : उसका कुछ हिसाब-किताब तो दीजिए, जो पैसा ले गए और वह खर्च किया या ... **(व्यवधान)** ...

प्रो0 रामदेव भंडारी : आप बिहार को बदनाम भी कर रहे हैं और बिहार को पैसा भी नहीं जाने दे रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : पानी के संकट पर बोलिए । ... **(व्यवधान)** ... बिहार के संकट पर भी बात की जाएगी ।

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : तो मैं कह रहा हूं कि जो पैसा आप राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार उसका सही ढंग से उपयोग करे और इसका कड़ाई से नियंत्रण आवश्यक है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपकी जो योजनाएं हैं, उन पर आप किस तरह से कड़ा नियंत्रण रखेंगे ताकि उनका कार्यान्वयन हो सके और जो जल प्रबन्धन है, उस जल प्रबन्धन के माध्यम से आप सन् 2004 तक किस प्रकार पेयजल संकट को दूर कर सकेंगे ?

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, आपका धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : डा0 अबरार अहमद । आप संक्षिप्त में अपनी बात कहिए ।

डा0 अबरार अहमद (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । महोदय, सारे देश में पीने के पानी की समस्या के बारे में बातें कही गई हैं, उसके साथ ही मैं राजस्थान के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अहमद भाई ने खास तौर से उस पर प्रकाश डाला है, और अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रकाश डाला है । राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जो लगातार गए तीन सालों से अकाल से जूझ रहा है और इस साल भी वहां आंशिक अकाल है । वहां के एक तिहाई हिस्से को अगर आप देखें, तो आज भी वहां बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रेन, ट्रकों और टैंकरों के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाता है । आज भी वहां बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां एक बाल्टी पानी बीस रुपये में और एक मटका पानी 25 रुपये में मिलता है । महोदय, जहां इस समय आज पीने के पानी की समस्या पर चर्चा हो रही है, वहां राजस्थान के बारे में माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें और एक ऐसा पैकेज तैयार करें कि वर्षों बाद भी राजस्थान जो बराबर अकाल से जूझ रहा है, वहां का प्यासा आदमी आज भी पीने के पानी की ओर देख रहा है, वहां के लिए कम से कम ऐसी स्थायी व्यवस्था हो, जिससे पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल हो सके और जो जल स्तर वहां पर बराबर नीचे जाता जा रहा है, उस जल स्तर को मेंटेन रखने के लिए कोई ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे कि जो कुएं और ट्यूबवैल बेकार होते जा रहे हैं, वे बेकार न हों और वहां के प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध हो सके । धन्यवाद।

[उपसभाध्यक्ष (श्री नोलोत्पल बसु) पीठासीन हुए]

डा0 फागुनी राम (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक-दो बातें बोलूंगा । मैं आप का आभार मानता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, जल के बारे में बहुत आंकड़े दिए हैं और यह बात भी सही है कि जल ही जीवन है । जल का मानव शरीर के साथ इतना लगाव होता है कि जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो सब से पहले अस्पताल में डाक्टर पानी चढ़ाते हैं । इस से हम समझ सकते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना जरूरी है ।

महोदय, हम लोग आंकड़ों में बहुत पड़ते हैं, लेकिन वर्षा में काफी जल पड़ता है, लेकिन उन दिनों में जल के रख-रखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है । अभी जैसे भाई लल्लन बाबू और भंडारी जी कह रहे थे, हमारे बिहार में नेपाल का बहुत पानी बहकर आता है

जिस से उत्तरी बिहार में काफी बाढ़ आती है, लेकिन गंगा के दक्षिण में प्रायः सुखाड़ रहता है। इसलिए अगर नेपाल सरकार से बात कर के उस पानी पर डैम बना दिया जाए तो उस से इरिगेशन का काफी काम होगा, हर साल जो बाढ़ से फसल खराब होती है, उस की भी रक्षा होगी, पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा और एक वातावरण देश में तैयार होगा। महोदय, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है । पानी के बिना फसल नहीं हो सकती, पशु भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल ही जीवन है । रहीम ने कहा है कि, " रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती, मानस, चून ।" ये तीनों चीजें अर्थात् मोती, मानस और चूना पानी के अभाव में बिखर जाते हैं, तथ्यहीन हो जाते हैं । इसलिए पानी पर ध्यान देना जरूरी है । यह ठीक है कि पानी का अभाव है, लेकिन जहां पानी अधिक आता है, वहां पानी को संचय करने का भी टोटल अभाव है । हम वर्षा के पानी को रख नहीं पाते, उस पानी को पीने योग्य बनाकर रखने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं । महोदय, शहरों में तो पानी टंकियों में इकट्ठा कर सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो बरसात के पानी से ही काम चलाते हैं और जब बरसात चली जाती है तो गर्मी में फिर पानी का अभाव हो जाता है । वहां नदी, नाले और गड्ढों में जो पानी रहता है, उसी को पीकर लोग जीते हैं । हमें देखकर आश्चर्य होता है कि उसी गड्ढे में भैंस नहा रही है, कुछ दूर पर वहीं लोग मल-त्याग भी करते हैं जोकि उसी में चला जाता है और गरीब लोग उसी को पीने के लिए यूज करते हैं । महोदय, बहुत से टांड होते हैं, लेकिन बिहार प्रांत एक ऐसा टांड है जिसे चित्रसारी का टांड कहते हैं । एक हलवाहा को पीने का पानी ले जाने में उस की पत्नी को देर हो गयी तो वह पानी के बिना मर गया तब से चित्रसारी टांड, भद्रसारी टांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया यानी वहां पानी का इतना अभाव है । महोदय, मैं आप की इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो हल जोतने वाला है, चरवाहा है, मजदूरी करने वाला है या जितने गरीब लोग हैं, वे सब गंदा पानी पीते हैं । एक तरफ हम कहते हैं कि जल ही जीवन है और उसे शुद्ध कर के पीना चाहिए, लेकिन वहां सभी लोग अशुद्ध पानी पीते हैं । एक कुएं में कीड़े होते हैं, उस में से एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो उस में कीड़े तैरते रहते हैं । वही पानी वे पीते हैं क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पानी तो चाहिए । हल जोतने वाला बरिहार भी वही गंदा पानी पी लेता है ।

महोदय, राजीव गांधी ने जल मिशन शुरू किया था । उन्होंने एक जलधारा योजना भी शुरू की थी, लेकिन पता नहीं उस मिशन का, उस योजना का क्या हुआ ? इसलिए एक त्वरित प्रोग्राम बनाकर देहातों के लिए एक निश्चित धारणा होनी चाहिए कि हम कितनी दूरी पर पानी रखेंगे, पानी का स्रोत कौनसा रखेंगे, ट्यूबवैल रखेंगे, हैंडपंप रखेंगे, कुआं रखेंगे, तालाब रखेंगे या नहर रखेंगे । उसी तरह से जो नदियां हैं....। उसी तरह से जो नदियां हैं, गंगा नदी है, दूसरी नदियां हैं, उनसे बांध बनाकर पानी का यूटिलाइजेशन किया जाए तो उससे सिंचाई के लिए भी और सब्जियों की पैदावार के लिए भी काफी फायदा होगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Minister, before you reply, I want to make a point. I would have had to take permission from the Chair had I not been here. I would like to ask just one very specific thing. There is a Bill which was passed by the West Bengal

Legislative Assembly two years ago, to make the activity of filling up of water bodies illegal. It is called the West Bengal Water Resources Management Bill. The West Bengal Assembly unanimously passed it. But, for the last two years, it is awaiting Presidential assent. I think you should assure the House that the Government would specifically intervene so that it could be notified immediately.

SHRI N. JOTHI: Sir, we join with you on this.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Vice-Chairman, Sir, we had a very meaningful and constructive discussion on a very important issue which the country is facing today. I am thankful to the hon. Members that they have not only highlighted the problem, but have also given specific and meaningful suggestions. I am equally happy over the fact that rising above party lines and regional lines, many hon. Members have spoken about the need to have a certain common approach to this problem. It is a very challenging problem before the nation. Before I go into the issues raised by the hon. Members, individually, I would like to briefly mention what has so far been done in this regard. Then, I will go to the other issues.

Sir, a few hon. Members made political charges. I do not want to join issue with them because it will not serve any purpose because water is not an issue where one can find fault with each other. Sir, with regard to the situation in the country, as of today, there are 14,22,664 habitations. Out of these, we have an impressive coverage of 12,65,093. It comes to 88.92 per cent. Then, we have a partial coverage of 1,40,208 habitations. It comes to 9.86 per cent. The number of uncovered habitations, as on record and as of today, is 17,363 i.e., 1.22 per cent. These are the figures provided by the respective State Governments, and we have crosschecked these figures. On the face of it, it appears to be very, very impressive. But the reality is otherwise. We cover a village; the water level goes down. We connect a village; new houses are added and new habitations come up. And then, of course, the population is also increasing. So, we cannot say that this is the factual situation, as of today. But it is also a fact that successive Governments, since Independence, made attempts to cover this. Keeping this in mind, the NDA Government made a commitment to achieve full coverage by March, 2004, with regard to partially covered and uncovered villages. For this partially covered and uncovered villages, we have sufficient money and sufficient Budget allocation has also been made. So far, Rs. 34,000 crores have been spent on drinking water in various regions of the country. But, unfortunately, as I said, on the one hand we are covering

the habitations, while on the other, there is a slippage because of ground water depletion and other reasons. I do not want to elaborate them. It is known to all the hon. Members. Sir, the life-span is also becoming shorter because of poor maintenance at the local level and also due to depletion of ground water levels. This is also another major reason, as has been pointed out by the initiator of the discussion, Shri Suresh Pachouri. The increase in population and increase in number of habitations among the reasons. Moreover, the sources -- which is more important, and you are personally aware of it -- are becoming quality- affected. This is where we are concerned. My friend, Shri Rajiv Ranjan Singh, quoted a figure of 2,17,000 villages. He might have taken this figure from one of my speeches which I had delivered recently. These 2,17,000 villages are quality-affected. They are connected, but they are quality-affected with arsenic, fluoride, nitrate, salinity, in some places brackish water. These are the problems that are there in these 2,17,000 villages. Connecting the villages is one thing, connecting the households is another thing. And, then, giving them quality water is another thing. That's why I said in the beginning, it is a challenging task. We are trying to take up this task combinedly with the States. The Government of India, from time to time, has been increasing the allocation to this sector, that is, drinking water, on a priority basis. I must admit, of course that it is not quite sufficient to meet the challenging situation today. But, at the same time, it will be unfair on the part of anybody to say that the Central Government is not serious, the Government has not given the due attention to this. I say, it is unfair on the part of anybody to make such remarks. My friend, Shri Suresh Pachouri, has made a mention about the allocations made and the expenditures that are incurred. I would like to submit very humbly to this House that the Government of India, from time to time, keeping in view the needs of the States, and also availability of funds, allocates the funds to different States and releases the amount in two instalments. So, this money is spent by the States, and there is also a matching grant -- 50 per cent by the States and 50 per cent by the Central Government. In certain cases, the States are not able to give the matching grant. In certain cases, unfortunately, even if the money is available, it is not spent. I will come to that I will also answer the criticism made by hon. Member, Prof. Ramdeo Bhandari, with regard to this particular aspect. Sir, what do you see when you look at the figures? I am not going into details because it is nearing 7 o'clock. In 1993, it was Rs. 740 crores. Today, in 2002-2003, we have reached Rs.2,235 crores. This is the Centre's share in the Accelerated Rural Water Supply Programme. So, there is a marked

increase with regard to allocation. As we have been saying from time to time 'जितना आटा उतनी रोटी', you have to allocate from whatever resources you have. You cannot allocate more than the resources that are there at your disposal. Now, this subject of drinking water is a combined subject of State and Central Governments, but both the States and the Centre have resource constraints.. Keeping that in mind, we are moving very cautiously on this. Secondly, so far as the programmes are concerned, we have the Accelerated Rural Water Supply Programme. Under this programme, money is given to all the States, as per their eligibility, and keeping in view the scarcity in those States. Then, we have a sector reforms project -- the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission. Our friends have mentioned about it. In 63 districts of the country, this sector reforms project has been taken up. Initially, the response was not adequate. But now it has caught the imagination of the people, and this sector reforms project is catching up. The local community is made to participate in this. They have to contribute about 10 per cent of the total money of the scheme; and, then, by way of *sharamdan* and by way of contribution, they have to join this. The remaining money is borne by us. This scheme is under implementation in 63 districts of the country. And, as we move forward, we have a plan to cover the remaining districts also. With regard to the draught situation, when there was a drought last year, in Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Karnataka, even before the States made a request, the Government of India had taken a pro-active step and gave relaxation to those States to utilize a part of the ARWSP money for deepening the wells, for repair, and for other aspects of drinking water, because you cannot spend this money for Rural Water Supply for any other purposes. So, this relaxation was given, and the States were happy. And the States were happy about it. Sir, this time also, a similar demand has been made. Yesterday, a meeting was held in which the officials of the State Governments of Madhya Pradesh, Karnataka and Rajasthan made a representation. And in that meeting, it was suggested that those States should identify the districts. Instead of giving a blanket permission to use this money, they should identify those districts, where the situation is precarious. And for those districts, this sort of relaxation can be given with regard to the Accelerated Rural Water Programme for allocating 20 per cent of the money for repairs, maintenance and also deepening of the present sources that are available in the respective places.

Sir, then, a point was raised about testing the quality of water. This is a major issue. Shri Suresh Pachouriji has mentioned about it. So far,

we have set up 278 laboratories in the country, and 289 are yet to be started. For this also, there is no dearth of money. Somehow or the other, the States are not able to progress, as per schedule, in this regard. I have taken up this matter, personally, with the States. We have already held a meeting in this connection. And we are trying to impress upon the Chief Ministers to take interest in this and set up these labs. We had decided to finish the work on setting up of labs by 31st March, 2002, I know that the time limit is over; but we have not yet completed this. We are in the process of persuading the States to set up the remaining labs also, and the Centre is willing to give them the needed resources for this.

Sir, the hon. Members have raised issues pertaining to their States. Sir, if you want, I can give a detailed information about each State separately. But, if you want me to make a general observation, with regard to the specific points that have been raised, I will do accordingly.

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): I think a State-wise reply may be given because the hon. Members have spoken quite elaborately. So, State issues are also important.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If Members have time and interest to sit for a longer time, I have no problem.

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Since Members have already waited so long, they would not mind waiting for another 15-20 minutes.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: A question was raised as to why there is emergence of a large number of noncovered habitation, and as to why, with each survey, this number is increasing. This relevant question was put by Shri Suresh Pachouriji. The reasons are: Firstly, all the sources are becoming permanently defunct, after a particular level, secondly, expiry of the design life of the system, thirdly, poor operation and maintenance, fourthly, emergence of new habitation in some villages fifthly, the habitation served by private system and not having public sources being classified as non-covered, and, then, increasing population is also one of the important reasons for fluctuation and increase in the number of uncovered habitation with each of the surveys that is conducted.

Sir, 14 hon. Members have spoken, and almost all of them have touched one important subject, that is, we are not seriously understanding the gravity of the problem. It is a very serious challenge that the country is

going to face. Sometimes, I really get frightened about the situation that is developing, because as Mr. Keshubhai Patel has said, in certain areas of Gujarat, the water level has gone down by 1000 feet. This is one thing which is most disturbing.

The next point is about wastage of water. In spite of campaigns by the Government of India, and campaigns by State Governments, there is no awareness among the people to preserve and conserve water. This is agitating our mind. The third thing is, Sir, according to the figures that are available, only 18 per cent rain-water is conserved, the remaining is allowed to go waste. With the concretisation of the cities, there is no open space left for water conservation. Everybody wants to have concrete pavements. The rain-water falls on the roofs, goes down directly into the drain, and goes out of the city. This is really causing a lot of concern to the people. Keeping this in mind, the Water Resources Ministry has circulated a model Bill to all the States, to have ground water level regulation and to conserve rain-water also. I am happy, some States have taken an initiative in this regard. The Tamil Nadu Government has come out with a town-planning project and they are trying to make it compulsory. The Andhra Pradesh Government also is in the process of taking steps for water conservation. And some other State Governments have also taken an initiative in this regard. But I must say, Sir, there is not enough awareness, and feeling of urgency among the States on these two issues. On two issues, one is ground water tapping regulation, and the other is rain-water conservation. Today, I am happy that Members from different sides have broached this subject, and that they have highlighted the fact. I can only say that I have taken up this matter with the Ministers of different States. We had a Ministers' Conference, in October last year, wherein this point was stressed. Then, the question is how do you do this? One is through country planning, town planning, second one is through creating awareness among the people. In Chennai, when I went to attend a programme, where the Anna University students, they have joined and said that they will go to each and every house and educate the people. Then, in some States like Madhya Pradesh, a campaign was taken up "पानी रोको अभियान". In Andhra Pradesh, a massive campaign 'Neeru Meeru', 'Water and You' has been taken up. In Gujarat also a massive campaign was taken up to have a number of check dams. Ahmed Patelji mentioned their strength and all that, I am not going into the details. I leave it to the State, but people in Gujarat themselves formed into groups and have taken up a massive programme

with the cooperation of the Government, at that time. Subsequently, unfortunately, next year, there was no rain. As and when rain comes, the entire area will also get water, and, then, greenery, vegetation underground water level will automatically increase. I have seen myself in Madhya Pradesh. I think, in Mandsaur district, one District Collector, made some presentation. I was so much impressed by that Collector. He himself went to more than 800 villages -- major villages --and made people to get involved. Then, they have taken up a massive programme of desiltisation of the tanks. That sort of approach is required everywhere in the country. Janeswarji was mentioning, and others were also mentioning about our traditional ponds and also tanks. Sir, as a kid, I remember now, I am quoting it everywhere, even in the recent World Bank meeting also, I quoted this, my grandfather used to call the village assembly before the onset of monsoon. The entire village used to get assembled at the *pandal*, central place, what do you call is *chaupal*, and, then, he used to tell them, " rains are likely to come. We all have to join together to remove the silt from the tank and also repair the sluice and repair the surplus course and also repair the irrigation canals." The entire village community, irrespective of the caste or the status, used to join together, and, then, used to take up that programme. Unfortunately, over the years, the Government said सब काम हम करेंगे, तुम बेकार बैठे रहो। This sort of approach has come and that has created the present situation. The second aspect which was mentioned by the hon. Members, and I am happy about it that we have successfully abandoned, destroyed many of the traditional water resources that were available from times immemorial. In the villages, Sir, as you know, for cattle also, there used to be a pond; for washermen also, there used to be a separate pond, and for that particular purpose, people are not allowed to touch that water and all these things. Unfortunately, people started encroaching upon them, and some people, progressively, have even allotted that pond. Some people have encroached and constructed houses, and some people are using it for other purposes. Now, there is a need for revitalising those traditional water resources. This is an urgent need which is also being felt now. With regard to these two aspects of rain water conservation, desiltisation of tanks, the Government of India have recently forwarded a scheme called "सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना" with an allocation of Rs.5,000 crores and also with Rs.50,000,000 allocation for rice. We have told the States about it, and given them permission. The first priority can be given for rain water harvesting, desiltisation of tanks and also soil conservation, so that the vegetation level and ground water level can be

7.00 p.m.

increased, and water is available for local people. This is one source which we have made available to the States from the Schemes which we have merged. EIS and JDSY, combined together, is called as "सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना". It is a programme which we have given to them. In some States wherever the people have contributing something, the Government is matching it. Andhra Pradesh is doing it in a big way. Madhya Pradesh has also done it. Sir, I must tell you the enthusiasm among the people for this programme is very, very encouraging. We will be requesting all the States to go for a similar campaign. With regard to legislation, Members made a forcible plea that, no, no, without waiting for the States to fall in line, the Centre must make a legislation. He has also quoted article 256, but my only fear is, as you are aware, we are in a federal system, and we have the regional sensitivities also, there, and one has to keep them in mind.. Unfortunately, for the last 7-8 years, time and again, we have been circulating this model Bill. We have been requesting the State Governments, but not much progress has taken place in this regard. In places where there is scarcity of water, people are shifting to sugarcane; they are going in for a second crop, etc. In certain places, they are going in for a third crop also. Sir, another reason is the free power supply that is available. It also makes the people to draw more water, which depletes the ground water level. This is also a very important issue on which the entire nation and the various political parties have to seriously think, and, I think, we must go for it. Anyhow, since the Members, cutting across the party lines, have suggested that there is a need for this sort of a legislation at the Central level, I will interact with the Ministry of Water Resources and try to find out as to what we can do further in this matter. But since this issue is now dealt with by the Ministry of Water Resources, I cannot say much on it. I, for one, am also of the view that we have given enough time to the State Governments, and now it is time to go for a legislation.

Sir, another important point was raised by the Members. But there is an underlying thing in it. It is that, the States which are at the receiving end, are saying, 'Nationalise the water resources, nationalise the rivers, let there be a National Water Grid, and let there be a legislation at the Central Level.' But, Sir, the States where water sources are available, are not coming forward to accept this suggestion. In this regard, there is a divergent political opinion in different parts of the country. I do want to name any State, but, today, we are seeing that there is a difference of

opinion among the various States in this regard, irrespective of whether my Party rules or your Party rules. Every State is taking a different view, depending on the populist approach that prevails in a particular State. So, we have to work hard, and we have to put across to the nation the reality of the situation and create public opinion in this regard. Till such time, the Government of India is not able to move in the direction of nationalising all the rivers, and taking legislative measures in this regard. I do not think it is possible at the moment. But, Sir, it is a very good suggestion which merits a discussion, and there is a need for a sort of campaign throughout the country on this.

Sir, another important suggestion that was given related to the linking of rivers. This is a much talked about scheme for years together. As a kid, I used to hear Dr. K.L. Rao talking about it. Dr. K.L. Rao, the famous engineer, who, subsequently, became a Minister, used to talk about linking the *Ganga, Cauvery, Bhramaputra, Mahanadi*, then *Godwari, Krishna* -- taking it downstream. But the information that was made available to us in this regard was technical. It is said that because of the levels, bringing *Ganga* water to *Cauvery* is not a feasible thing. It is a technical aspect. This is one thing. The other aspect is economical. Sir, the people who have made a study in this regard have given a big estimate for undertaking such a project. They are giving an estimate of Rs. 4 lakh crores for the same. So, Sir, these two things are there. Recently also, Sir, a representation was made to the hon. Prime Minister by some well-intentioned people in this regard. In this connection, I can only say that this is receiving the attention of the Government. I cannot say more than that on this particular issue, except that 'it is receiving the attention of the Government.'

Sir, with regard to the submission projects, I would like to say that submission projects were sanctioned to Gujarat also; defluoridisation plants were also installed in Gujarat. Submission projects were also sanctioned to West Bengal, to Andhra Pradesh, etc. But, in this regard, the problem is this. While sanctioning the scheme of submission projects, an understanding was reached between the Centre and the State Governments that the cost of estimate which is finalised at the time of sanctioning of a project has to be adhered to, and any increase in the cost has to be met by the respective State Governments. But, now, the Chief Minister of Andhra Pradesh has written a letter to the Central Government. Sir, other State Governments are also approaching the Central Government in this

regard. In this connection, Sir, I have to make a humble submission. Earlier, it was the Centre which was sanctioning the projects. But the present system is, whatever allocation is made in the Budget, we allocate that money to the respective State Governments at the beginning of the year itself, so that the States can decide the priority, can sanction the programmes and can go ahead with the schemes. This is a new dispensation that has come up after 1999, after a lot of discussion. There was a request from the State Governments also that instead of the Centre deciding the schemes, why not the opportunity be given to the States. Keeping that in mind, the money is now made available to the States, and the States are free to formulate their schemes. We have also issued broad guidelines in this regard.

Sir, with regard to the point raised by you about the status of West Bengal Water Resources Development Management Bill, I would like to say that the Ministry of Water Resources has already conveyed its 'No Objection' to it; the Ministry of Law is considering it now, and, after that, it will go to the Ministry of Home Affairs. But, as the matter is raised in the House, I will definitely ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Since last two years, it is awaiting approval. *...(Interruptions)...*

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, so far as the river *Ganga* is concerned, dredging is very necessary. It is required even in the case of the *Narmada* river. Sir, another point was raised about the allocation of fund. You had raised that point. Now, Sir, so far as West Bengal Government is concerned, you will see, ...So far as the West Bengal Government is concerned, under the mega city development programme during the 8th and 9th Plan period, you were supposed to allocate Rs.400 crores, but you have allocated only Rs.238 crores. In the mean time, prices have gone up. Who will provide the additional funds needed because of the price hike.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Chatterjee, you let the Minister speak. At the end of his reply, I will allow you if you have a small question to ask.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, with regard to purifying the rivers and raising the bunds of the rivers and construction of dams...

With regard to Narmada, Shri Keshubhai Patel and Shri Ahmed

Patel have mentioned about the issue. They have also made certain comments. Sir, he has reminded us about the commitment given by the hon. Prime Minister. The Government is seriously committed to the plan of the Narmada Sarovar Project. Whatever help is required will be given. There is no question of entering into confrontation and criticising a particular Government. Recently the Gujarat Chief Minister, along with the Leader of the Opposition, met the Madhya Pradesh Chief Minister. The Madhya Pradesh Chief Minister welcomed them and they had a good meeting. I hope whatever obstacles are there, they will be overcome and we will be able to move forward with regard to the Narmada Sarovar Project.

Last year, keeping in view the difficult situation in Gujarat, I had allocated an extra amount of Rs.100 crores to Gujarat. This year also, keeping in view the distressing situation in Kutch, we have given additional Rs.20 crores to tackle the situation in Kutch, where the water has to be taken through pipeline. Certain additional amount is also coming from other international financial agencies. We also from the Government of India side, as a special case, have given assistance to the State.

Sir, with regard to Bihar, there is no question of lack of allocation of money. The problem in Bihar, unfortunately, is that in spite of my own personal intervention we are not able to sort out the discrepancy in their accounts on the utilisation of funds. For the last three years the Bihar Government has not been able to utilise the money, because they are not able to reconcile their accounts with the Accountant General. This issue was discussed by me with the Chief Minister of the State. This issue was again taken up with the State Secretary, who is looking after the drinking water department. You will be surprised to know that the Bihar Government statistics says that there is no village which is not covered. All villages are covered. I am not doubting the report of the Bihar Government.

Secondly, from 1997-98 to 2001-02, Rs.377.73 crores could not be utilised by Bihar. In spite of the demand by a number of MPs, this discrepancy in the figures of the Bihar Government and their Accountant General has not yet been resolved.

SHRI AHMED PATEL: This problem is not there only in the case of Bihar alone. It is there in the case of other Governments as well.

प्रो. रामदेव भंडारी : अगर आप बिहार में डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं तो आप दूसरी सरकारों के बारे में भी बताइए । मैंने जिस 400 करोड़ रुपए की बात की है, वह बिहार सरकार का पैसा नहीं है, वह बिहार की जनता का पैसा है और उस पैसे को रोककर आप बिहार

की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं । जब आप फिगर्स दे रहे हैं तो दूसरी सरकारों की फिगर्स भी दीजिए । ...(व्यवधान)...

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तरांचल): बिहार की सरकार का पैसा ...(व्यवधान)...

प्रो. रामदेव भंडारी : मैंने जिस 400 करोड़ रुपए की बात की है वह बिहार सरकार का पैसा नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : ध्यानी जी, आप बीच में मत टोकिए ।

प्रो. रामदेव भंडारी : वह बिहार की जनता का पैसा है । आप मॉनीटरिंग कराइए जिससे कराना चाहते हैं लेकिन बिहार की जनता के साथ अन्याय मत कीजिए । वह पैसा उनको दे दीजिए ।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am a student in public life for the last 15 years. I am trying to understand the problem. The money is made available to the State. The State is supposed to spend 60 per cent of the money by December and the remaining by March and provide a utilisation certificate. The utilisation certificate is not coming forward, because their AG is not accepting their figures of utilisation of funds. I am not punishing the people of Bihar. The problem lies between the State Government of Bihar and their accounting system.

प्रो. रामदेव भंडारी : सिर्फ बिहार में ही ऐसी बात है ?

श्री एम.वेंकैया नायडु : दूसरी जगहों में इतना गंभीर नहीं है । भंडारी जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

प्रो. रामदेव भंडारी : इतना गंभीर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ ?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I thought, being a senior Member, you will appreciate the position. I do not want to get into politics on any of the issues.

प्रो. रामदेव भंडारी : लालू जी आपकी कंसल्टेटिव कमेटी में ही हैं ।

श्री एम. वेंकैया नायडु : ठीक है, लालू जी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है । लालू जी आएंगे तो क्या होगा ? अच्छा है उनको भी समझ में आएगा । जो स्थिति हमारे सामने है उसके लिए हम लालू जी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं । पति के साथ बैठने के लिए तैयार है, पत्नी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं । बिहार की जो दुर्गति है उसे हम लोग दूर करना चाहते हैं । इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं है । मैंने चीफ मिनिस्टर से पर्सनली बात की है । आपके जो सेक्रेट्री हैं नारायणन, उसने भी बात की, और उनसे कहा कि आप खुद जाओ । हमारे सेक्रेट्री ने यहां से ए.जी. को फोन किया, नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जनता को नुकसान हो रहा है, मैं आपकी वेदना स्वीकार करता हूं । जनता को नुकसान हो रहा है ।

If I release the money without utilisation, without the certificate, I do not think anybody will accept it. Then, we will be coming under criticism tomorrow. That is the problem. Because you have mentioned about the figures and the State, I have just given the information. Otherwise, I did not have any intention of isolating Bihar or criticising Bihar. I can assure you on that. Even tomorrow, you bring the utilisation certificate, the money will be released and whatever has to be done by the Government of India will be done. ...*(Interruptions)*...

प्रो. रामदेव भंडारी : यानी आप बिहार की जनता को पैसा नहीं देंगे । बिहार सरकार से परहेज है इसलिए बिहार की जनता को पैसा नहीं देंगे ।

श्री एम. वेंकैया नायडु : अगर जनता को सीधे पैसा देने का कोई सिस्टम है तो बताइए, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं । जनता के पास यहां दिल्ली से पहुंचना, जनता के पास सीधे पैसा पहुंचना ...**(व्यवधान)**...

प्रो. रामदेव भंडारी : सरकार से परहेज हो सकता है, जनता से क्या दुश्मनी है ।

श्री एम. वेंकैया नायडु : ए.जी. का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए, यूटिलाइजेशन हो गया है, नहीं हो गया है, यह तय करना पड़ेगा । Suppose the entire House says, "There is no need to have the AG's certificate, there is no need to have the utilisation certificate; you release the money", I have no problem. We will discuss it and then we can come to a conclusion. But I have told you the practical difficulty. I am telling you again, let there be no politics. We are with an open mind. If there is a way out, let us sit together and discuss it and come out with a solution. We have senior Members like Pranabbabu. They can also guide me. I am open to ideas. If anybody says, "There is no need to have a utilisation certificate, there is no need to have an AG certificate", then, one can discuss this and go ahead. But, I have consulted my own Ministry; I have consulted other seniors also. Everybody is saying, "You cannot release the money without the AG certificate. That will be questioned tomorrow." And then, we have ourselves requested the AG. The AG says, "There are discrepancies. I do not agree with the figures these people have given me." The State says, "Our figures are correct". So, this is the problem that has to be sorted out. We are also doing our best. We are not trying to complicate it. We may have political differences. But they will not come in the way of serving the people of Bihar. You can rest assured about it.

With regard to the situation in Orissa--he was asking why I was talking only about Bihar and not any other State; I am now talking about Orissa-- the Orissa Government was not able to utilise the money released

by the Government of India from time to time for drinking water. That is why they also lost the amount. I myself talked to the Chief Minister and then tried to convince him about the need to increase the expenditure level so that they would be able to take advantage of the situation. The State is facing a drought on one side and on the other, there was cyclone also. There is a serious drinking water shortage in certain parts of the State. But, there is no question of lack of money as far as Orissa is concerned. Enough allocation is there. They can take advantage of it. If you want, I can read out which are the States which have lost money on account of non-utilisation and all that. But, that is not going to help us. I have taken out this because of that particular problem that is persisting there.

A number of Members, including Ram Deo Bhandaryji, Suresh Pachouriji and Janeshwarji, raised points about the decisions taken in the Ministers' Conference. One of the major issues discussed was about the relaxation of norms for coverage of rural habitation with drinking water. The present norms provide for 40 litres per capita per day LPCD with a source within 1.6 kilometres in the plains, or 100 metres elevation in the hills. This is the present position. After a detailed discussion, the Conference recommended that *once the coverage of all rural habitations in any State is achieved,* the norms for coverage will be relaxed to provide 55 litres per capita per day with a source within 0.5 kilometres in the plains or 50 metres elevation in the hills. This is the recommendation. According to the recommendation, if any State approaches the Centre saying, "We have completed this", then this will come into operation automatically. There is no question of hesitation on our side.

We have also taken another important decision because States like West Bengal and Andhra Pradesh, many States for that matter, are facing problems of arsenic and fluoride and other contaminations of water. The resources that are available at the disposal of the States are not sufficient and the ARWSP money, which we are giving, has to be distributed across the States.

There is a demand, there is a popular request, made by MLAs, MPs and others, that if you spend only in a particular area, there will be reaction. Sir, a delegation of MLAs from the West Bengal Assembly, an all-Party delegation, came and called on me. I had requested them to go and meet the Planning Commission also. This matter had received serious attention. Subsequently, in the Ministers' meeting, I myself had moved a

proposal that the Government of India should have some funds at its disposal so that the quality-affected areas could be taken care of. I am happy that there was a broad consensus that a certain amount of money, ten per cent of the total money, be kept apart to tackle these quality-affected problems in different States. That was the conclusion reached, and this matter is now with us. We have formulated some proposals; they are in the process of going to the Cabinet. Once the Cabinet gives its approval, we will be able to implement them. There is some sort of delicacy, sensitivity, in this, because there will be some reduction in the allocation which is, so far, made to the States where the situation is normal, and the States where the problem is acute, of quality, will get some preferential treatment. Naturally, they must get it. So, there will be some heart-burning. Keeping that in mind, we have enough consultations with the States. Now, the process of reserving that much money for the quality-affected areas is under the serious consideration of the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, I want to make a small submission. In Dharmapuri district of Tamil Nadu, there are a lot of problems being faced by the people due to the chlorine content in the water. Kindly include that district also while making allocation of funds.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am aware of it. The hon. Member has also written to me. Several MPs have met me. We have discussed it with the State Governments also. Not only Dharmapuri; any district that is affected by quality because of fluoride, arsenic and other contaminations, will get preferential treatment as per the decision at the Ministers' Conference; I can assure you on that.

I come to the other point which Dr. Abrar Ahmed has made. He has spoken about the situation in Rajasthan. In certain areas of Rajasthan, the position is really precarious. The water has to be carried by tankers. Hon. Members made a mention yesterday that in Jaisalmer and Barmer, in the rural areas, there is no water available. It has to be carried by tankers. We have taken up the matter with the Railway Ministry, and the Railway Ministry has assured us that whatever transportation is there in those seriously affected areas, which are notified, they will be giving us a helping hand for transportation of water on a timely basis to those areas.

Shri Chandra Sekar Reddy has mentioned about bearing the excess cost of the submission projects. I have already, humbly, submitted,

Sir, that this commitment, that the cost had to be borne by the States, was made. There is no money available with the Central Government. If at all I have to give for those projects which were incomplete, and which are in the process of completion now, then I have to take the money from some other States and give it to them. It will not be acceptable to any State. So, they must try to understand this. With regard to quality, of course, we are going to have a special approach to that particular problem.

With regard to Nalgonda, he mentioned about the fluoride problem. It is a serious problem. Domestic water filters are being provided, and we are also searching for an alternative surface water supply scheme to take care of the districts which are worst-affected, in terms of fluoride. For the submission projects, the total approved cost was Rs.456 crores. The Government of India's share was Rs.342 crores. A sum of Rs.326.71 crores has already been released. The remaining amount of Rs.15.89 crores will be released, on the basis of the final utilisation certificates. That is going to be given by the Government of Andhra Pradesh. We are in touch with the States, and that will be addressed.

With regard to the Sector Reforms Project, the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission Sector Reforms Project, initially, there was some sort of lack of awareness among the people. Now, it is catching up. I will only take one minute on that. Under the Sector Reforms Project, we create awareness among the people; we form them into groups, and then we give them the needed training. They will come forward; and we hand over the money to the Village Committee. They will themselves construct the scheme. We have told them to have a new system of "Own, Operate and Maintain". That will be given to the Panchayats and to the local bodies for permanent maintenance. Whichever Panchayat is coming forward, is given preference under the sector Reforms Project.

This sector reform is catching up now. Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies of those 63 districts have been sensitised and informed of this. They are also now coming forward to join the campaign. Recently, I have been to Guntur, one of the backward districts of Andhra Pradesh, where the MP has taken the initiative, and the Consultative Committee of the Parliament has also gone there. By the time the scheme was launched, 50 villages had come forward to offer their contribution and said that they would be ready to do *shramadhan,* to the extent possible. There is one advantage in this. If you have to do small repairs, the Government employing someone is costly because he is

stationed somewhere and all that. Instead of that, we are allowing the Panchayats to recruit local boys who have completed ITI or discontinued polytechnic courses, the unemployed youths. They can be taken on a part-time basis by the Panchayats for repairing and maintaining the system. This would also provide employment opportunities to the rural youths, in a limited way. This is another thing.

With regard to increasing the height of Narmada Sarovar Dam, it was supposed to be raised to the level of 100 metres by the end of June, 2002. The RR clearance is a problem and it is being attended to. A meeting of the Narmada Control Authority is scheduled to be held this month to consider this particular matter. Once that meeting takes place, I hope we will be able to clear this.

I have not taken the names of all the Members who spoke. Shri Prasanta Chatterjee has practically cursed me, saying that the Central Government is doing nothing; it is insensitive, and all that. I leave it to his wisdom. The Government is trying to do whatever is possible. After all, as I told you, the allocation has been increased. The activity has been increased. There is a people-friendly approach. There is no question of discrimination against any State. I had visited West Bengal. I had discussions with the Chief Minister and the Minister concerned also. They are also now happy that we are taking a positive attitude towards that Government. With regard to other States also, we told them, "If you have any problem, you approach us; and, to the extent possible, we will try to respond positively".

Shri Jothi was lamenting about the situation in Tamil Nadu where they are at the mercy of the neighbouring States. I don't want to enter into that arena and create unnecessary controversies. As you know, Sir, the Prime Minister had taken the initiative last time, made both the States sit together, and tried to arrive at some sort of a compromise. Still, much more has to be done.

With regard to the Telugu-Ganga project, it is nearing completion. If there are good rains, the water will be made available to Chennai also. The Tamil Nadu Chief Minister has, recently, announced that they are going in for a massive scheme for watershed development in the State. It is really going to help increase the water level.

Sir, recently, I had been to Washington to attend the World Bank Water Forum meeting. At that meeting, I told them that we had a serious

water quality problem and that we wanted some sort of technology transfer as well as cooperation in this regard. They were positively inclined; and we are planning to set up an Arsenic Mitigation Centre at Kolkata. That will take shape finally. This will done at the earliest.

Dr. Karan Singh spoke about the UNICEF Report as also malnutrition, etc. I am particularly happy that the Members went into the depth of this serious problem. But this serious problem, I say, once again, in spite of all our money, in spite of the best efforts of the State Governments, is going to be there. I cannot assure the Members that, next time. there would not be any need to discuss this problem. I don't want to use the words 'ritual', etc. But there are certain things which we have to do: (a) population control; it is the combined responsibility of the entire nation; (b) groundwater regulation by all the States and cooperation and participation of the farming community; (c) rain water conservation has to become a mass movement; (d) necessary changes in the laws with regard to country planning and town planning by the State Governments, because it is a State subject; (e) better coordination between the Centre and the State Governments.

With regard to talking to the Nepal Government and constructing a dam there--as a suggestion was made--I will convey it to the right quarters. I must frankly say, I don't have the information on the subject available with me readily. I will get myself sensitised on this. I will talk to the Minister of Water Resources, with regard to this suggestion. In regard to the situation in Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, I can assure the hon. Members that once they notify the most distressed districts, the relaxation which they are asking for would be given to them. So far as availability of money is concerned -- Shri Rahman Khan is looking at me -- I can assure him ...

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Minister, you also represent Karnataka.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am elected from Karnataka; I hail from Andhra Pradesh and I look like a Tamilian. I have got this advantage. So far as money is concerned -- I do not want to go into the details; otherwise, he would say, "You are finding fault with the States" -- money is available with us. Last year also, the money under the Accelerated Rural Water Supply Programme could not be spent for a variety of reasons. That being the case, the Government will release the first

instalment. If you say that the situation is so serious that we should a part of the second instalment, that can do done. As you know there is a Calamity Relief Fund. The Finance Commission has taken a very clear cut decision that the money will be made available to the States directly. That is a new thing which has come up. So far as NCCF is concerned, there is a problem. If a calamity is declared as a calamity of rarest severity -- this is the word which they have used -- Parliament will have to think about it and the Government will have to collect Cess and then only the money will be given. The Calamity Relief Fund is already available with the States. Once they exhaust this fund, we can think about other things. Another interesting thing is the Pradhanmantri Gramodya Yojana about which many Members have talked. I am happy to inform the House that instead of keeping the money with ourselves and then releasing it, from this year onwards the money is going to be transferred directly to the States. The States can decide their priorities. Except 15 per cent to be spent on nutrition, the rest of the money can be used for drinking water. Now the States have to decide as to what are their priorities. Under the PMGY, Rs. 2,500 crores stands transferred to the States and they have already indicated as to how much amount is going to the particular State. They have got the NCF. Then they get money under the PMGY. They get money under the Accelerated Rural Water Supply Programme. Then, in certain areas there are sector reforms projects. In addition to this, people's participation is also required. Sir, I have tried to cover almost all the points raised by the hon. Members.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: The arsenic-prone areas should immediately be covered with pipe water. The arsenic problem is there in eight districts of West Bengal.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Arsenic problem is a pretty serious problem. You cannot give the example of Bangladesh. In Bangladesh, a lot of surface water is available. That is why they could tap alternative sources of water. But the same is not the case so far as the eight districts of West Bengal are concerned. Surface water is not available adequately at all the places.

SHRI MANOJ BHATTACHARAYA: There is not much difference between the topography of Bangladesh and the eight districts of West Bengal. What you are saying is not correct.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If alternative surface water is available

nearby like it is available in Bangladesh, I will be the happiest man. I stand corrected.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Minister, I am sorry. I am breaking the kind of constraint I impose on myself because this is a very serious issue. The difficulty is, it is not a question of availability of surface water; it is a geological fault. Nobody can control it. Under no circumstances, can the ground water be used. That is the finding of the scientific bodies. That is the whole problem. Even though surface water availability is a problem, at the same time, the solution cannot be use of ground water. It is a geological fault. The World Health Organisation has also recognised the problem in West Bengal.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I fully agree with you. I am talking of the cost involved in this exercise and the extent of resources that are at our disposal. The Members of Parliament met me. They had shown me some people who were affected by it. We have also visited certain areas. The problem is quite serious. I am not undermining the seriousness of the problem. It is not only in Nadia and other places, in the neighbouring nine districts also. Whatever support can be given by the Government will be given. Sir, the Members have given constructive suggestions. I have noted down each and every point made by the hon. Members. In fact, I want to prepare a detailed note on this and then circulate it in my Ministry. We will see how many of these suggestions can be implemented, to the extent possible, and how many of them have to be taken up with the State Governments. Wherever there is a need for consensus to be built in the country, we are striving to do that. I have also written to the hon. Members to contribute liberally from their MPLAD funds to various drinking water schemes in their respective areas; not for other areas, but they can do it for their respective areas. People might say that it is very easy to request the hon. MPs. But we have to tap whatever resources are available. In addition to this, there are certain programmes funded by international agencies also. Wherever there is scope, we are also trying to tap international resources in this regard. It is a major challenge before the nation. It is a challenge before all of us. We have to make a combined effort. I can assure the hon. Members that the Government of India is alive to this problem. In coordination with the Urban Development Ministry and the Ministry of Water Resources, we will try to do whatever is possible. We will keep in mind the suggestions of the hon. Members in this regard. Thank you...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Pachouri wants to ask something.

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पेयजल के संकट पर बोलते समय बहुत गंभीरता दिखाई है । इस बात की हमें खुशी है, वहीं उनसे आग्रह यह है और अपेक्षा भी है कि जहां आपने पेयजल संकट पर जो गंभीरता दिखाई है वहीं जो सुझाव दिए हैं और जिस सम्मेलन का जिक्र किया है, 19-20 अक्तूबर, 2001 के सम्मेलन का, उसकी जो सिफारिशें हैं उनको मूर्त रूप देने में आप तत्परता दिखाएं, प्रभावी कदम उठाएं । मेरे मध्य प्रदेश से संबंधित एक मामले का उन्होंने जिक्र किया है कि कल मध्य प्रदेश के कुछ आफीसर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से यही ज्ञात हुआ है, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उन आफीसर्स से डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का विनम्रता-पूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 12 नवंबर, 2001 को जो मैमोरंडम दिया गया था उसमें उन सारे डिस्ट्रिक्ट का जिक्र है और इसके अलावा मुझे यह भी सूचना मिली है कि कल की मीटिंग में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हुआ है । फिर भी यदि मंत्री जी चाहेंगे तो उन डिस्ट्रिक्ट की पूरे विस्तार से उनको टीप दी जा सकती है ताकि बगैर विलंब के उस पर कदम उठा सकें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितना पैसा राज्य ने मांगा था, इससे पहले ही उनको रिलेक्सेशन वाले मामले में और दूसरा उपलब्ध करा दिया जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 12 नवंबर, 2001 को मैमोरंडम के जरिए जो पैसा, 253.6 करोड़ रुपया मांगा गया था वह पूरा का पूरा पैसा वहां नहीं जा पाया है । जहां तक आपदा राशि का जिक्र किया गया कि आपदा राहत निधि राज्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां वह भी जितनी राशि मध्य प्रदेश शासन ने मांगी थी वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

महोदय, आखिरी बात मध्य प्रदेश से संबंधित यह है कि जो योजना मद में सूखा प्रभावित बसाहटों में आवश्यक कार्य करने के लिए जो मापदंड में छूट देने की बात कही गई थी, उसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन ने 14 दिसंबर, 2001 को लिखा है और यह अनुरोध किया है कि जो सूखा प्रभावित जिले हैं उनके लिए इन मापदंडों को शिथिल किया जाए । देर आयद दुरुस्त आयद । अभी तक यह प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं । मझे मंत्री जी की बात से पूरा विश्वास हो गया है कि अब मध्य प्रदेश के साथ न्याय किया जाएगा और समय रहते मध्य प्रदेश को यह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी । मझे मंत्री जी पर पूरा विश्वास है ।

महोदय, इसके साथ साथ मंत्री जी ने सम्मेलन की सिफारिशों का जिक्र किया है। एक सिफारिश, जिसका परिपालन हो गया है, उसका तो उन्होंने जिक्र कर दिया है, लेकिन, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, जो टोटल सिफारिश की गई हैं वह कितनी सिफारिशें हुई हैं, कितनों को मूर्त रूप दे दिया गया है और जिनको मूर्त रूप नहीं दिया गया है उनको कब तक मूर्त रूप दे दिया जाएगा ? यह मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा । धन्यवाद ।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, as regards Madhya Pradesh, the hon. Member has mentioned about the Memorandum of November last year. He must be aware of the fact that the financial year has come to an

end in March, 2002. So, firstly, a notification has to be issued afresh this year. Secondly, in yesterday's meeting, they have mentioned 32 districts in Madhya Pradesh, for last year. This year, they have notified only six districts. This is the information available with me. In the case of Andhra Pradesh, it is 22 districts; Karnataka, 25 districts; Madhya Pradesh, 6 districts; Maharashtra, ...

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है । अभी-अभी आपने उत्तर में यह कहा कि कल जो मीटिंग आफिसर्स के साथ हुई, उसमें उनको कहा गया है कि वे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करें, अभी आप कह रहे हैं कि 6 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं ।

श्री एम0 वेंकैया नायडु : 6 किया, मगर उन्होंने कहा ज्यादा हैं।

श्री सुरेश पचौरी : इसमें विरोधाभास है । कितने अफेक्टिड हैं, कितने किए, यह अलग बात है । एक तो यह है कि उनको कहा गया, मतलब यह है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करके नहीं दिए थे, अब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं । लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं तो यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो पेयजल संकट है, उस संकट से वहां के वासियों को उभारने के लिए आप कृपापूर्वक जितनी राशि मांगी गई है, वह वांछित राशि उपलब्ध कराएं । मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं, मैं तो आपसे केवल यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने जितनी राशि के लिए आग्रह किया है, आप कृपया उस पर ध्यान दें ।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no hesitation, Sir. What I am trying to submit is that this is a continuous process. First, the State declares some districts. Afterwards, reports come from other districts also. So, we asked them to identify, and then notify, the districts. With regard to the demands made by States, if I am in a position to fulfil the demands made by all the States, I will be very happy to do it. But the amount available with me is limited. Madhya Pradesh might ask me to give them Rs.200 crores, Rs. 300 crores, or Rs. 400 crores, but I would be able to give them, depending on the amount that is available with me and the demands that are coming from the different parts of the country. Keeping that only in mind, we make allocations. We will never be able to fulfil the demands of any State to the extent they ask. The entire money cannot be given because we do not have the money. That is one thing. So far as the recommendations are concerned, most of these recommendations have to be fulfilled by the State Governments. If you look at the recommendations, the recommendations are that, the States have accepted to do this by March, 2002; the States have agreed to do this, and so on. So, we are persuading the States, and we are in the process of trying to impress upon them; it is a collective decision; we must do that. And if they have any problem, we are ready to address that problem. That is why I did not tell you specifically how many recommendations have been made, how many of

them have been accepted, and how many of them have been fulfilled so far. It was not given to you because of this reason.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I have to seek some clarifications from the hon. Minister. First of all, I am thankful to him that he has accepted that the problem of arsenic in more than nine districts of West Bengal is a very, very serious problem. I must extend my thanks to him for accepting this. But I would like to ask him, how much money the West Bengal Government has asked the Central Government to give to them as assistance for taking care of this problem, and how much money has been released up till now. Secondly, there are, approximately, 6,28,000 villages and about 593 districts in our country. The Minister took great pains by speaking for more than an hour, but I could not understand in how many villages, actually, potable water has been arranged so far, and how many villages are still to be provided with it. I am not interested in listening about the projects. These are to be done. But what is the ground reality today? Out of these 6,28,000 villages, in how many villages the people are provided with potable water, and how many villages are still left to be provided with potable water? I shall be thankful if the hon. Minister could kindly reply to it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I think I have given detailed figures about 14,28,000 habitations, about 89.98% of the villages that have been covered and so on. I have given those figures. I have also said that I am not satisfied with the number only, because new problems are coming. That is why I have said that it is a continuous process. That is one thing. Secondly, with regard to the details that the hon. Member has sought, about how much money the West Bengal Government has asked for and how much we have been able to provide them, I will send those details to the hon. Member. These are not readily available with me now. The information about how much is given on a regular basis to every State, how much is given from the Calamity Relief Fund, and so on, is available with me.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, Calamity Relief Fund is different and arsenic contamination is different.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: For arsenic, there is no special allocation. There were submission projects earlier which were sanctioned and the money was released. Now, a new approach is emerging, and I am

in the process of finding a solution to tackle this problem of arsenic, because specific allocations... *(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Arsenic is, certainly, a calamity. You should treat it as such and, accordingly, allot funds from the National Calamity Fund.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, as of today, Rs.23.61 crores have been released, as the first instalment of the Accelerated Rural Water Supply Programme, to West Bengal. This is a normal programme under which this much money has been released. No specific amount of money has been released for arsenic because we have to take a decision. The matter is under the consideration of the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): So, thank you, Mr. Minister, for giving a detailed reply. Now, there is a message from the Lok Sabha. Secretary-General.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE HAJ COMMITTEE BILL, 2002

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 16th May, 2002, agreed without any amendment to the Haj Committee Bill, 2002, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 8th May, 2002."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): The House is adjourned till 11 a.m. on Friday, the 17th May, 2002.

The House then adjourned at forty-one minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Friday, the 17th May, 2002.

MGIPMRND—3147RS—25.6.2003